

# भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली

(पीजीएस – इंडिया)

प्रचालन पुस्तिका

भारत सरकार  
कृषि मंत्रालय  
कृषि एवं सहकारिता विभाग  
राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र  
19 हापुड रोड, गाजियाबाद, उ. प्र.

**प्रकाशक:**

निदेशक

**राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र**

(भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग)

19 हापुड रोड, गाजियाबाद 201 002

गाजियाबाद – 201 002

फोन – 0120–2764906, 2764901, 2764212

0120–2764901

ईमेल : [nbdc@nic.in](mailto:nbdc@nic.in) वेबसाइट : <http://ncof.dacnet.nic.in>

**संस्करण:**

2015

**मुद्रण**

राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र

19 हापुड रोड, गाजियाबाद 201 002

उ. प्र

## अनुक्रमणिका

क्र.	पाठ विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	परिभाषाएँ	6
2.	भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली	9
	सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली	9
	जैविक सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली के मार्गदर्शक सिद्धांत	10
	➤ सहभागिता सिद्धांत	10
	➤ सम्मिलित दूरदृष्टि का सिद्धांत	11
	➤ परदर्शिता का सिद्धांत	11
	➤ विश्वास का सिद्धांत	12
	➤ समस्तरीयता	12
	➤ राष्ट्रीय संस्थागत तंत्र निर्माण	
	तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण के मुकाबले पी.जी.एस के लाभ	13
	पी.जी.एस की सीमाएँ	14
3.	प्रचालन संरचना	14
	संरचना, कार्यकलाप व विभिन्न भागीदार संस्थानों के उत्तरदायित्व	15
	➤ पी जी एस – राष्ट्रीय सलाहकार समिति	16
	➤ राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र – पी जी एस सचिवालय	17
	➤ ऑचलिक परिषद्	18
	➤ प्रादेशिक परिषद्	20
	➤ स्थानीय समूह	22
	➤ किसान व किसान परिवार	27
4.	प्रमाणीकरण प्रक्रिया	28
	➤ किसान व उसके क्षेत्र पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया	28
	➤ स्थानीय समूह स्तर पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया	29
	➤ प्रादेशिक परिषद् स्तर पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया	34
	➤ उपभोक्ताओं द्वारा प्रमाणीकरण की जाँच	
	➤ पी.जी.एस. चिन्ह व विशिष्ट प्रमाणीकरण पहचान कोड देना।	37
	➤ पी.जी.एस. चिन्ह प्रयोग शर्तें	39

5.	जैविक उत्पादन हेतु पी.जी.एस.—राष्ट्रीय मानक क. सामान्य आवश्यकताएँ	40
	➤ आवास प्रबंधन	40
	➤ फसल विविधता	40
	➤ पशुधन समन्वयन	40
	➤ परिवर्तन कालावधि	40
	➤ संदूषण नियंत्रण	42
	➤ मृदा एवं जल संरक्षण	42
	ख. फसल उत्पादन हेतु मानकीय आवश्यकताएँ	42
	➤ बीज एवं पौध चयन	42
	➤ उर्वरीकरण	42
	कीट व्याधि एवं खरपतवार नियंत्रण तथा वृद्धि कारकों का प्रयोग	43
	➤ मशीन, उपकरण, औजार व भंडारण पात्र	44
	➤ भंडारण तथा परिवहन	44
	ग. पशुधन उत्पादन हेतु मानकीय आवश्यकताएँ	44
	➤ परिवर्तन आवश्यकताएँ	44
	➤ पालन अवस्थाएं	44
	➤ प्रजातियों तथा प्रजनन	44
	➤ पशु पोषण	45
	➤ पशु दवाएँ	46
	➤ मधुमक्खी पालन हेतु मानक आवश्यकताएँ	46
	घ. खाद्य प्रसंस्करण, रखरखाव तथा भंडारण हेतु मानकीय आवश्यकताएँ	47
	➤ सामान्य आवश्यकताएँ	47
	➤ भंडारण	47
	➤ संघटक योजक तथा प्रसंस्करण सहायक	48
	➤ प्रसंस्करण	48
	➤ पैकिंग तथा लेबल लगाना	49
6.	परिशिष्ट	
	1. पी.जी.एस. स्थानीय समूह में शामिल होने हेतु आवेदन प्रपत्र	50
	2. फार्म इतिहास प्रपत्र	51
	3. जैविक कृषक शपथ	53
	4. समूह गोष्ठी उपस्थिति तथा विवरण पंजिका प्रपत्र	55

5.	प्रमुख प्रक्षेत्र दिवस प्रशिक्षण उपस्थिति तथा विवरण पंजिका प्रपत्र	56
6.	पुनरीक्षण जॉच प्रपत्र (फसल व पशुधन उत्पादन)	57
7.	प्रसंस्करण तथा रखरखाव पुनरीक्षण जॉच प्रपत्र	63
8.	अनुपालना उल्लंघन दिशानिर्देश दंड सूची	66
9.	स्थानीय समूह सारांशीट	67

## परिभाषाएँ

**प्रत्यायित प्रमाणीकरण संस्था** (Accredited Certification Agency) – राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के अधीन राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा प्रत्यायित संस्था जिसे जैविक उत्पादन प्रक्रिया के प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत किया गया है।

**आयुर्वेद** (Ayurveda) – प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या तथा प्राकृतिक औषधि उपचार प्रणाली

**बफर क्षेत्र** (Buffer Zone) – जैविक उत्पादन इकाई या क्षेत्र के चारों ओर एक ऐसा उभय क्षेत्र जो कि जैविक व अजैविक क्षेत्र को स्पष्ट रूप से अलग करता हो तथा यह सुनिश्चित करता हो कि अजैविक क्षेत्र से कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ जैविक क्षेत्र में न पहुँच पाये।

**मिलावट** (Co-mingling) – दुर्घटनावश, असावधानी या जानबूझकर जैविक व अजैविक उत्पादों का मिश्रण

**संदूषण** (Contamination) – जैविक उत्पाद या जैविक क्षेत्र में ऐसे प्रतिबंधित पदार्थों द्वारा प्रदूषण जो उस उत्पाद या क्षेत्र को जैविक प्रमाणीकरण हेतु अनुपयुक्त कर दें।

**परिवर्तन कालावधि** (Conversion Period) – अजैविक क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तन हेतु वांछित समय

**डी.ए.सी.** (D A C) – कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

**विविधता** (Diversity) – अनेक प्रकार के पौधों, वृक्षों व झाड़ियों इत्यादि का समावेश कर तथा एक ही समय विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर जैव विविधता का निर्माण।

**आवास प्रबंधन** (Habitat Management) – ऐसे प्रबंधन उपाय व प्रक्रियाएँ जिनसे संबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार के जीव जन्तुओं व पौधों हेतु आदर्श प्रकृतिपरक जीवन यापन सुनिश्चित किया जाये।

**होम्योपैथी** (Homeopathy) – एक ऐसी औषधि उपचार विधि जो “बीमारी कारकों द्वारा बीमारी उपचार” सिद्धांत (Similia Similibus Curentur – Let likes be treated by likes) पर आधारित है।

**आइफोम** (IFOAM) – जैविक कृषि आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ

**सहायक संस्थाएँ (Facilitating Agency)** – स्थानीय समूह द्वारा नामित ऐसी संस्था जो उन्हें पीजीएस प्रक्रिया के परिचालन, प्रबंधन, डाटा प्रबंधन तथा वेबसाइट प्रचालन में सहायता करे।

**स्थानीय समूह (Local Group)** – सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली हेतु स्थानीय किसानों का समूह जो पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के मानक व दिशानिर्देशों के अनुरूप मिल-जुलकर कार्य करे।

**पशुधन (Live Stock)** – ऐसे सभी पालतू जीव व पशु जैसे गाय भैंस, बैल, घोड़ा, बकरी, सूअर, भेड़, मुर्गी, बतख, मधुमक्खी इत्यादि जिन्हें खाद्य उत्पादन हेतु या खाद्य उत्पादन में सहायता हेतु पाला जाता है। जंगलों से शिकार कर लाए पशु व प्राकृतिक जल स्रोतों (जैसे नदी, झील व समुद्र) से पकड़ी गई मछलियाँ इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं।

**समानांतर उत्पादन (Parallal Production)** – एक ही इकाई, क्षेत्र या फार्म पर जैविक व अजैविक विधि द्वारा समान उत्पादन, प्रजनन, प्रसंस्करण व भंडारण।

**आंशिक परिवर्तन (Part Conversion)** – एक ही इकाई या फार्म के कुछ क्षेत्र का जैविक उत्पादन अधीन होना व शेष क्षेत्र का अजैविक उत्पादन अधीन या परिवर्तन कालावधि के अधीन होना।

**पीजीएस एन ए सी (PGS - NAC)** – पी जी एस राष्ट्रीय सलाहकार समिति, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत पी जी एस – इंडिया कार्यक्रम की शीर्ष नीति निर्धारण व निर्णय इकाई होगी।

**ऑचलिक परिषद् (Zonal Council)** – पी जी एस एन ए सी. द्वारा अधिकृत संस्था जो पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रादेशिक परिषदों के बीच समन्वय तथा उनकी कार्यप्रणाली पर निगाह रखेगी।

**एन.सी.ओ.एफ. (NCOF)** – भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र।

**सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली [Participatory Guarantee System (PGS)]** – पी.जी.एस. जैविक उत्पादन की एक ऐसी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक है तथा सभी भागीदारों जिनमें उत्पादक व उपभोक्ता दोनों शामिल हैं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए तथा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया से अलग रहकर उत्पाद गुणवत्ता की गारंटी देती है।

आइफोम (2008) की परिभाषा के अनुसार सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली स्थानीयता केंद्रित एक ऐसी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है जिसमें उत्पादकों

का प्रमाणीकरण सभी भागीदारों की सहभागिता सुनिश्चित कर किया जाता है। आपसी विश्वास, सामाजिक जुड़ाव तथा ज्ञान का आदान-प्रदान इसका आधारभूत तत्व है।

**पुनरीक्षण समीक्षा (Peer Review)** – यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समान परिस्थितियों में भागीदार एक-दूसरे की उत्पादन प्रक्रिया की जाँच व समीक्षा कर प्रक्रिया के मानकों के अनुरूप होने की पुष्टि करते हैं। यह प्रक्रिया लिखित या अलिखित किसी भी रूप में हो सकती है।

**शपथ (Pledge)** – शपथ एक ऐसा लिखित प्रलेख है जो प्रचालकों या स्थानीय समूह के सदस्यों को पीजीएस – इंडिया कार्यक्रम के जैविक उत्पादन मानकों के पालन हेतु उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

**आर सी ओ एफ (RCOF)** – राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के अंतर्गत कार्यशील क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र।

**प्रादेशिक परिषद् (Regional Council)** – पी.जी.एस-एन ए सी द्वारा अधिकृत संस्था जो स्थानीय समूह के बीच समन्वय, उनके क्रिया-कलापों की जाँच तथा उनके प्रमाणीकरण निर्णयों को स्वीकृत करने का कार्य करें।

**तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण (Third Party Certification)** – राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक गारंटी कार्यक्रम जिसमें एक स्वतंत्र संस्था उत्पादन प्रक्रिया की जाँच कर प्रमाणीकरण प्रदान करती है।

**यूनानी (Unani)** – यूरोप से उत्पन्न एक प्राचीन औषधि उपचार व स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली

**वेटरिनरी (Veterinary)** – पशुओं हेतु आधुनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली



# भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली

## परिचय

पिछले 50 वर्षों से पूरे विश्व में जैविक उत्पादक अपने जैविक उत्पादों की जैविक गुणवत्ता व निष्ठा प्रमाणित करने हेतु विभिन्न प्रकार के गारंटी कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं। तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया विश्व जैविक बाजार की सबसे अधिक मान्य प्रतिभूति (गारंटी) प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के प्रचालन व प्रमाणीकरण हेतु भारत में 20 प्रमाणीकरण संस्थाएँ कार्यरत हैं। तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण विश्व बाजार में यद्यपि सर्वाधिक मान्य प्रक्रिया है परंतु इसमें भी कुछ कमियाँ हैं। इस प्रक्रिया के बहुस्तरीय आयाम, अत्यधिक व जटिल प्रलेखन आवश्यकता तथा इस पर होने वाला खर्च अधिकांश लघु किसानों के लिये न केवल मुश्किल है अपितु उनकी खर्च वहन क्षमता से भी अधिक है। इस कारण स्थानीय बाजार में जैविक उत्पाद उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया की जटिलता तथा उसका खर्च जैविक खेती आंदोलन की प्रगति में भी बाधक है।

इस असमानता को दूर करने और जैविक प्रतिभूति (गारंटी) पद्धति को सर्वसुलभ बनाने हेतु स्थानीय बाजार व लघु उत्पादक समूहों के लिये अनेक वैकल्पिक प्रतिभूति प्रणालियाँ विकसित की गई हैं। ऐसी सभी वैकल्पिक प्रणालियों को सामूहिक रूप से सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (पी.जी.एस) के नाम से जाना जाता है। पी.जी.एस जैविक आश्वासन प्रक्रिया में सभी उत्पादकों व अन्य भागीदारों की सक्रिय सहभागिता उसका मूल आधार है।

## सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली

सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली एक ऐसी गुणवत्ता आश्वासन पहल है जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक होकर सभी भागीदारों, जिनमें उत्पादक व उपभोक्ता दोनों शामिल हैं के सक्रिय सहभाग पर आधारित है तथा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण से अलग रहकर कार्य करती है। आइफोम (2008) की परिभाषा के अनुसार “सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली स्थानीयता केंद्रित एक ऐसी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है जिसमें उत्पादकों का प्रमाणीकरण सभी भागीदारों की सहभागिता सुनिश्चित कर किया जाता है। आपसी विश्वास, सामाजिक जुड़ाव तथा ज्ञान का आदान-प्रदान इसके आधारभूत तत्व हैं।” पी.जी.एस. प्रक्रिया में समूह सदस्य (लघु जोत किसान या उत्पादक) समान परिस्थितियों में एक-दूसरे की उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन, निरीक्षण व जाँच कर सम्मिलित रूप में पूरे समूह की कुल जोत को जैविक प्रमाणीकृत करते हैं।

पी.जी.एस प्रक्रिया का मूलभूत ढाँचा सहभागिता, सम्मिलित दूरदृष्टि, पारदर्शिता तथा विश्वास पर आधारित है। सहभागिता पूरी प्रक्रिया का सबसे

आवश्यक व गतिमान पहलू है। सभी प्रमुख भागीदार (उत्पादक, उपभोक्ता, विक्रेता, विपणन कर्ता तथा अन्य जैसे गैर सरकारी संस्थान इत्यादि) इसके प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण से लेकर पूर्ण प्रचालन तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पी.जी.एस. प्रचालन प्रक्रिया में सभी भागीदार पूरी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय से लेकर प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अंतिम निर्णय तक उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रचालन प्रक्रिया में सहभागिता के साथ-साथ उत्पादक भागीदार लगातार जानकारी के आदान-प्रदान से एक-दूसरे के ज्ञानवर्धन में सहायक होते हैं और अपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्तरोत्तर विकास करते हैं। यह ज्ञानवर्धन प्रक्रिया जहाँ कुछ अवस्थाओं में समूह के सदस्यों से प्रेरित होती है वहीं कुछ अवस्थाओं में सहायक गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से पूरी की जाती है। ज्ञानवर्धन प्रक्रिया प्रमुख रूप से उत्पादन स्थलों पर सीधे तकनीकी प्रदर्शन, किसान दिवस या गोष्ठियों के रूप में होती है। सहभागिता के साथ सामूहिक उत्तरदायित्वता पी.जी.एस. जैविक आश्वासन का प्रमुख आधार है।

### **जैविक सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली के मार्गदर्शक सिद्धांत**

अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं व आइफोम के पी.जी.एस. दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, पीजीएस-इंडिया प्रणाली भी सहभागिता, सम्मिलित दूरदृष्टि, पारदर्शिता तथा आपसी विश्वास के मूलभूत स्तंभों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त पी. जी.एस-इंडिया कार्यक्रम पीजीएस धारणा को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे आंदोलन को राष्ट्रीय मान्यता के साथ-साथ इसे एक संस्थागत स्वरूप भी प्रदान करता है।

### **सहभागिता सिद्धांत**

सहभागिता पी.जी.एस का सबसे महत्वपूर्ण व गतिमान भाग है। सभी प्रमुख भागीदार (उत्पादक, उपभोक्ता, विक्रेता, विपणन कर्ता तथा अन्य जैसे गैर सरकारी संस्थान) इसके प्रारंभिक स्वरूप निर्माण से लेकर पूर्ण प्रचालन व निर्णय तंत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

सहभागिता के अंतःकरण में निहित सामूहिक उत्तरदायित्वता का सिद्धांत जैविक निष्ठा की स्थापना का मूल मंत्र है। सामूहिक उत्तरदायित्वता निम्न बिन्दुओं द्वारा परिलक्षित होती है।

- पी.जी.एस का सामूहिक स्वामित्व
- विकास प्रक्रिया में सभी की भागीदारी
- पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है उसकी समझ तथा
- उत्पादक, उपभोक्ता तथा अन्य भागीदारों के बीच सीधा संबंध व संवाद।

ये सभी मूल तत्व आपसी विश्वास को आधार बनाकर जैविक निष्ठा के स्थापन में सहयोग करते हैं। पूरी प्रचालन प्रक्रिया की पारदर्शिता आपसी विश्वास स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण है। निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, सभी प्रलेखों व सूचना तंत्र तक सीधे पहुँच तथा उपभोक्ताओं की प्रचालन तथा निरीक्षण में भागीदारी पूरे कार्यक्रम को विश्वसनीयता प्रदान करती है। निर्णय प्रक्रिया में यद्यपि विपणनकर्ताओं, विक्रेताओं या उपभोक्ताओं की अनवरत भागीदारी संभव नहीं होती है परंतु उनकी भागीदारी से पूरी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा व विश्वसनीयता बढ़ती है।

### **सम्मिलित दूरदृष्टि का सिद्धांत**

प्रचालन और निर्णय प्रक्रिया में सामूहिक उत्तरदायित्व सम्मिलित दूरदृष्टि से ही संभव है। सभी प्रमुख भागीदार (उत्पादक, सहायक संस्थायें, गैर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थान तथा राज्य सरकारें) पी.जी.एस में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। ऐसा तभी संभव होता है जब सब कार्यक्रम निर्माण में भागीदार हों और उसमें शामिल होकर उसके प्रचालन में सहयोग करें। प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आवेदन या प्रलेख जिसमें दूरदृष्टि उल्लिखित हो पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

यद्यपि प्रत्येक भागीदार संस्था या पी.जी.एस समूह अपनी अलग-अलग दूरदृष्टि पत्र बना सकते हैं परंतु ऐसे प्रलेख पी.जी.एस-इंडिया की समग्र दूरदृष्टि व मानकों के अधीन होने आवश्यक हैं।

### **पारदर्शिता का सिद्धांत**

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये यह जरूरी है कि सभी भागीदार (उत्पादक व उपभोक्ता) इस बात से भलीभाँति परिचित हों कि सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली कैसे कार्य करती है, मानकीय आवश्यकताएँ क्या हैं, जैविक प्रतिभूति क्रियाविधि तथा आवश्यक प्रलेखन तथा निर्णय प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। पी.जी.एस समूहों के सभी दस्तावेजों तथा सूचनाओं (जैसे प्रमाणित उत्पादकों की सूची, उनके फार्म व उत्पादन प्रक्रिया का विवरण, मानक विरोधी कार्य इत्यादि) तक आम जन की पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए। पी.जी.एस-इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी समस्त जानकारी एक राष्ट्रीय डाटाबेस वेबसाइट के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

इस कथन का यह मतलब भी नहीं है कि राष्ट्रीय पी जी एस वेबसाइट पर उपलब्ध सभी जानकारी सभी को उपलब्ध होगी। सबसे निचले स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सभी उत्पादकों को पूरी जैविक प्रतिभूति क्रियाविधि में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना जरूरी है। इसके लिये निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा।

- सभी गोष्ठियों व बैठकों में जानकारी का आदान प्रदान

- आंतरिक निरीक्षणों व पुनरीक्षण प्रक्रिया में भागीदारी तथा
- निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय योगदान

### विश्वास का सिद्धांत

पी.जी.एस प्रक्रिया में जैविक निष्ठा का मूल आधार यह है कि उत्पादकों पर विश्वास किया जा सकता है तथा जैविक प्रतिभूति प्रणाली इसी विश्वास पर आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। इस विश्वास का मूल आधार संपूर्ण पी.जी.एस प्रक्रिया में सभी भागीदारों की सम्मिलित दूरदृष्टि, सम्मिलित प्रयास, प्रचालन तथा सम्मिलित निष्ठा सत्यापन है। यह विश्वास अलग-अलग पी.जी.एस. समूहों में उनके सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश के अनुसार अलग-अलग परिलक्षित होता है। इस विश्वास के मूल में यह अवधारणा भी है कि प्रत्येक उत्पादक अपनी संपूर्ण जैविक उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरण सुरक्षा तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

विश्वसनीयता प्रदर्शन किया विधि में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं

- प्रत्येक उत्पादक एक लिखित शपथ पत्र द्वारा अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है
- पूरा समूह सामूहिक रूप से वचन देता है कि वे पी.जी.एस. प्रक्रिया के सिद्धांतों, मानकों तथा प्रक्रिया का पूरा पालन करेंगे।

### समस्तरीयता

उत्पादक समूह स्तर पर पी.जी.एस.—इंडिया में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता तथा यह पूरी प्रक्रिया के लोकतांत्रिक तथा सामूहिक उत्तरदायित्वता के रूप में परिलक्षित होता है। समस्त कार्य जैसे निरीक्षण, पुनरीक्षण इत्यादि बारी-बारी से सभी सदस्यों द्वारा किये जाते हैं तथा सारे क्रिया-कलापों तथा निर्णय प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।

### राष्ट्रीय संस्थागत तंत्र निर्माण

पी.जी.एस.—इंडिया कार्यक्रम में पी.जी.एस की मूल भावना को अक्षुण्ण रखते हुए पूरी प्रक्रिया को एक संस्थागत स्वरूप दिया गया है जिसमें पूरे देश के सभी उत्पादक समूह विभिन्न सहायक संस्थाओं, प्रादेशिक परिषद तथा ऑचलिक परिषदों के माध्यम से एक ही राष्ट्रीय तंत्र से जोड़े गये हैं। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने व सभी सूचनाओं तक विक्रेताओं व उपभोक्ताओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सभी सूचनाओं, दस्तावेजों व ऑकड़ों को एक राष्ट्रीय वेबसाइट पर रखा जायेगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र इन सभी ऑकड़ों के राष्ट्रीय अभिरक्षक होने के साथ-साथ नीति निर्धारण, मार्गदर्शन, निगरानी तथा प्रमाणित उत्पादों की रसायन अवशेष जाँच का कार्य भी करेगा। प्रादेशिक परिषद् तथा सहायक संस्थायें समूहों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान विसर्जन तथा सभी ऑकड़ों व जानकारी को

वेबसाइट पर डालने में सहायक का कार्य करेंगी। सभी स्तरों पर यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ये संस्थान (शीर्ष संस्थान, प्रादेशिक व ऑचलिक परिषद इत्यादि) उत्पादक समूहों की कार्य प्रणाली तथा उनकी निर्णय प्रक्रिया में कोई भी दखल न दें। उन परिस्थितियों में भी जहाँ जॉच व निगरानी की गई और रिपोर्ट में प्रक्रिया के उल्लंघन के मामले हैं तो भी पूरी रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाल दिया जायेगा और उस पर क्या कार्रवाई की जानी है यह उत्पादक समूह व संबंधित प्रादेशिक परिषद के विवेक पर छोड़ दिया जायेगा।

### **तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण के मुकाबले पी.जी.एस के लाभ**

पी.जी.एस प्रक्रिया में जैविक उत्पादकों का पूरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया पर नियंत्रण होने के कारण गुण नियंत्रण आश्वासन तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया के मुकाबले कहीं अधिक विश्वसनीय होगा। इस प्रक्रिया के प्रमुख लाभदायी बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- (क) पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है तथा सारा प्रलेखन आधारभूत होने के साथ स्थानीय भाषा में होगा जो सभी उत्पादकों के लिये समझ पाना संभव होगा।
- (ख) सभी सदस्य स्थानीय होंगे और एक-दूसरे से भली-भाँति परिचित होंगे। चूँकि सभी सदस्य स्वयं जैविक उत्पादक होंगे अतः उनकी दैनिक क्रियाविधि पर अच्छी पकड़ होगी और वे सभी खेतों या फार्मों से भी भली-भाँति परिचित होंगे।
- (ग) सभी पुनरीक्षक चूँकि उसी समूह के सदस्य होंगे और उसी गाँव के वासी होंगे अतः वे एक-दूसरे पर बेहतर निगरानी कर सकेंगे।
- (घ) स्थानीय पुनरीक्षण प्रक्रिया खर्च मुक्त होगी।
- (ङ.) विभिन्न प्रादेशिक पी.जी.एस समूहों के बीच आपसी मान्यता व सहयोग से प्रसंस्करण व विपणन तंत्र स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
- (च) उत्तरोत्तर क्षमता निर्माण से उत्पादकों के ज्ञान में वृद्धि होगी और वे अधिकाधिक अधिकारपरक व जागरूक होंगे।
- (छ:) बिना किसी बिचौलिये के उपभोक्ता सीधे उत्पादकों के संपर्क में आ सकेंगे।
- (ज) तृतीय पक्ष उत्पादक समूह प्रमाणीकरण के विपरीत पी.जी.एस प्रक्रिया में प्रत्येक उत्पादक को अलग से उसका स्वयं का प्रमाण पत्र मिलेगा जिससे वह अपने उत्पाद को स्वतंत्र रूप से प्रमाणीकरण के साथ बेच सकेगा।
- (झ) उपभोक्ता व विक्रेता उत्पादन जॉच व निगरानी प्रक्रिया के अंग होंगे।
- (ञ) समय-समय पर की जाने वाली रसायन अवशेष जॉच पूरी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा व उसकी विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

### **पी.जी.एस की सीमायें**

पी.जी.एस प्रमाणीकरण प्रक्रिया उन्ही किसानों/उत्पादकों व समुदायों पर लागू होगी जो उसी गाँव या सीमाओं से जुड़े आस-पास के गाँवों के वासी होंगे और एक समूह के रूप में कार्य करने को तैयार होंगे। पी.जी.एस प्रक्रिया केवल कृषि उत्पादन (जैसे फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन) पर ही लागू होती है। उत्पादक समूहों के अपने उत्पादों का प्रसंस्करण चाहे वह फार्म पर हो या अन्य स्थान पर पी.जी.एस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमाणीकृत किया जा सकता है। अकेला किसान या ऐसा समूह जिसके सदस्यों की संख्या 5 से कम हो पी.जी.एस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आ सकता है। वे या तो किसी अन्य समूह के सदस्य बन सकते हैं या तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अपना सकते हैं।


पी.जी.एस. प्रक्रिया जिन क्रिया-कलापों पर लागू होती है वे हैं: (i) फसल उत्पादन (ii) अपने स्वयं के फसल उत्पाद प्रसंस्करण (iii) पशुपालन, मधुमक्खी पालन तथा (iv) उत्पादक समूह के अपने सीधे उत्पादों का प्रसंस्करण चाहे वह फार्म पर हो या अन्यत्र किराये की सुविधा में। वे सभी क्रिया-कलाप (जैसे भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण इत्यादि) जो समूह के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों व संस्थानों द्वारा किये जायेंगे, पी.जी.एस प्रमाणीकरण प्रक्रिया के बाहर रहेंगे और प्रमाणीकृत नहीं किये जा सकेंगे। फार्म के बाहर से लाये गये या क्रय किये गये आदानों के प्रयोग से पूर्व अपने समूह की अनुमति आवश्यक है। एक समूह द्वारा दी गई अनुमति केवल उसी समूह के सदस्यों पर लागू होगी और इसको आधार बनाकर दूसरे समूह के सदस्य बिना उनके समूह की अनुमति के उन आदानों का प्रयोग नहीं कर पायेंगे। बाहर से लाये गये या क्रय किये गये प्रत्येक आदान की समूह द्वारा अलग-अलग स्वीकृति दी जायेगी जो केवल उसी समूह के सदस्यों के लिये मान्य होगी।

पी.जी.एस. प्रक्रिया में प्रमाणीकृत उत्पाद की जैविक निष्ठा की गारंटी वहीं तक वैध है जब तक वह उत्पादक समूह के नियंत्रण में है। उत्पादक समूह के नियंत्रण से बाहर जाते ही उस उत्पाद की जैविक निष्ठा पी.जी.एस. की सीमा से बाहर हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि उत्पादक समूह अपने उत्पाद को सील बंद पैक कर पी जी एस लोगो (चिन्ह) लगाकर ही बेचें या आगे भेजें। इस कारण पी.जी.एस स्थानीय बाजार व उपभोक्ताओं को सीधे विपणन में अधिक प्रभावी है। विभिन्न माध्यमों द्वारा विपणन तभी संभव है जब वह उत्पाद उत्पादकों द्वारा सील बंद पैक में लोगो लगाकर बँचा जाये और उस पैक को खोलकर दुबारा न पैक किया जाये।

परंतु विपणन को सुगम बनाने व उत्पादों को पूर्ण जैविक गारंटी के साथ दूर के बाजारों तक पहुँचाने के लिये उत्पादक समूह संबंधित प्रादेशिक परिषद् से विचार-विमर्श कर ऐसी कोई क्रिया विधि विकसित कर सकते हैं जिससे

जैविक उत्पादों की जैविक निष्ठा बरकरार रखते हुए जैविक गारंटी दी जा सके और थोक व खुदरा विक्रेता पुनः पैकिंग कर पी.जी.एस लोगो का प्रयोग कर सकें।

### प्रचालन संरचना



### संरचना, कार्यकलाप व विभिन्न भागीदार संस्थानों के उत्तरदायित्व

#### 7. पी जी एस – राष्ट्रीय सलाहकार समिति (PGS - NAC)

##### 7.1 संरचना

राष्ट्रीय सलाहकार समिति पी.जी.एस.–इंडिया कार्यक्रम की शीर्ष नीति निर्धारण व निर्णय इकाई होगी तथा इसकी संरचना निम्नानुसार होगी

1. संयुक्त सचिव (आई.एन.एम.) कृ.स. विभाग – अध्यक्ष
2. निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र – प्रचालन सचिव
3. क्षेत्रीय निदेशक क्षे.जै.खे.केन्द्र – सदस्य
4. क्षेत्रीय निदेशक क्षे.जै.खे.केन्द्र – सदस्य
5. उपायुक्त (आई.एन.एम.) कृ.स.विभाग – सदस्य

6. सभी ऑचलिक परिषदों के प्रमुख	— सदस्य
7. उत्तर भारत की प्रादेशिक परिषदों का प्रतिनिधि	— सदस्य
8. दक्षिण भारत की प्रादेशिक परिषदों का प्रतिनिधि	— सदस्य
9. पूर्व भारत की प्रादेशिक परिषदों का प्रतिनिधि	— सदस्य
10. पश्चिम भारत की प्रादेशिक परिषदों का प्रतिनिधि	— सदस्य
11. किसान प्रतिनिधि (4 प्रत्येक क्षेत्र से एक)	— सदस्य
12. उपभोक्ता प्रतिनिधि एक	— सदस्य

प्रथम 6 सदस्य स्थायी होंगे और वे अपने पद से प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रादेशिक परिषदों के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की प्रादेशिक परिषदों से चुनकर आयेंगे और उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा। दो वर्ष बाद चुनाव द्वारा कोई अन्य प्रतिनिधि आयेगा। किसान व उपभोक्ता प्रतिनिधियों का चयन समिति के अन्य सदस्य प्रादेशिक व ऑचलिक परिषदों की अनुशंसा पर करेंगे। किसान सदस्य का उस क्षेत्र के किसी एक स्थानीय समूह का सदस्य (with certain standing) होना आवश्यक है।

### कार्यकलाप व उत्तरदायित्व

1. पी.जी.एस-इंडिया कार्यक्रम की नीतियों, दिशा-निर्देश प्रचालन तथा मानकों का निर्धारण, किसी भी बदलाव या संशोधन की आवश्यकता होने पर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधनों पर सभी स्तर पर परामर्श हो और निर्णय परामर्श के अनुरूप हो।
2. प्रादेशिक परिषद् एवं स्थानीय समूहों की स्वशासी प्रणाली में कोई हस्तक्षेप किये बिना कार्यक्रम में बदलाव, सुधार व संशोधन। सभी राष्ट्रीय स्तर के क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान विसर्जन तथा निगरानी कार्यकलापों में समन्वय।
3. ऑचलिक व प्रादेशिक परिषदों का चयन व उनको प्राधिकृत करना।
4. ऑचलिक व प्रादेशिक परिषदों के क्रियाकलापों की जाँच व निगरानी।
5. यदि ऑचलिक व प्रादेशिक परिषद् ठीक से कार्य न कर रही हों या कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का पालन न कर रही हों तो उन्हें दंडित करना या उनके प्राधिकरण अधिकार वापस लेना।

### 7.3 पी.जी.एस-एन.ए.सी. की बैठकें (Meeting of PGS - NAC)

प्रचालन प्रक्रिया की प्रगति जाँचने व नई परिषदों को प्राधिकृत करने हेतु पी.जी.एस एन ए सी की हर वर्ष कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। पीजीएस-एन ए सी की बैठक अध्यक्ष की अनुशंसा पर और/या कम से कम एक चौथाई सदस्यों की प्रार्थना पर भी बुलाई जा सकती है।

कोई भी नीतिगत बदलाव, मानकों में संशोधन या दंड इत्यादि का निर्णय उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से लिया जायेगा। इस प्रकार की बैठकों हेतु कम से कम 30% सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश बैठक आयोजित करना संभव न हो



तो महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय सभी सदस्यों को जानकारी भेजकर भी किया जा सकता है। ऐसी सभी अवस्थाओं में एक निश्चित समय सीमा में 50% से अधिक उत्तर देने वाले सदस्यों द्वारा उस निर्णय का समर्थन आवश्यक है।

कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये शुरूआती वर्षों में पी जी एस – एन ए सी की बैठकें निश्चित अंतराल पर की जायेंगी। बाद में जब कार्यक्रम सुचारू रूप से चलने लगेगा तो पी जी एस–एन ए सी की बैठक वर्ष में केवल एक या दो बार होगी

एन ए सी के गैर सरकारी सदस्यों (जैसे गैर सरकारी ऑचलिक परिषदों के प्रमुख, नामित प्रादेशिक परिषदों के प्रमुख, किसान व उपभोक्ता प्रतिनिधि आदि) का यात्रा खर्च पीजीएस–सचिवालय द्वारा वहन किया जायेगा।

## 8 राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र – पी जी एस सचिवालय

राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, पी.जी.एस. कार्यक्रम का सचिवालय होगा और निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होंगे। सचिवालय के प्रमुख कार्यकलाप एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे।

- पी जी एस–इंडिया कार्यक्रम के परिचालन से संबंधित सभी कार्यकारी एवं सचिवालयीन उत्तरदायित्व, एन ए सी बैठकों का आयोजन, एन ए सी के निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करना। एन ए सी की बैठकों का मसौदा तैयार करना तथा एन ए सी के सदस्यों के बीच समन्वय।
- एन ए सी को सभी तकनीकी व परिचालन मुद्दों पर सलाह देना।
- ऑचलिक व प्रादेशिक परिषदों हेतु क्षमता निर्माण, ज्ञान विसर्जन, प्रशिक्षण तथा बाह्य क्रियाकलापों का आयोजन।
- ऑचलिक व प्रादेशिक परिषदों तथा क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय समूह के प्रमुखों के प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
- सभी ऑचलिक व प्रादेशिक परिषदों के क्रियाकलापों की जाँच तथा निगरानी।
- पी.जी.एस – इंडिया वेबसाइट का निर्माण तथा प्रचालन।
- पी.जी.एस – इंडिया कार्यक्रम के सभी ऑकड़ों व अभिलेखों का अभिरक्षण।
- ऑचलिक व प्रादेशिक परिषद् प्राधिकृत करने हेतु आवेदन की प्राप्ति व उनकी जाँच तथा एन ए सी को प्रस्तुति।

- राष्ट्रीय सलाहकार समिति में नामांकन हेतु प्रादेशिक परिषदों के बीच चुनाव आयोजन कराना।
- जैविक प्रमाणीकरण की अन्य विधियों व उनके नियंत्रकों के साथ सुचारु सम्बन्ध व समन्वयन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पी.जी.एस-इंडिया कार्यक्रम, एन पी ओ पी कार्यक्रम का सहयोगी व पूरक हो।
- पी जी एस कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार व उसको लोकप्रिय बनाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना।
- पी जी एस प्रमाणित उत्पादों की रासायनिक अवशेष जाँच कराना तथा रिपोर्टों को वेबसाइट पर डालना।
- ऑचलिक व प्रादेशिक परिषद के कार्यकलापों व निर्णयों के विरुद्ध स्थानीय समूहों की शिकायतों पर अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- वॉछित साहित्य निर्माण, प्रचार-प्रसार, तकनीकी ज्ञान विसर्जन तथा जन जागृति इत्यादि।

ऑचलिक व प्रादेशिक परिषदों की जाँच व निगरानी को छोड़कर, पी जी एस सचिवालय ऑचलिक व प्रादेशिक परिषद तथा स्थानीय समूहों की स्वशासी प्रचालन प्रणाली में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन मामलों में भी जहाँ सचिवालय की जाँच व निगरानी में किसी स्थानीय समूह में कुछ कमियाँ पाई गई हैं तो सचिवालय अग्रिम कार्यवाही हेतु इसकी सूचना संबंधित प्रादेशिक परिषद को दे देगा और अग्रिम कार्यवाही करने का अधिकार प्रादेशिक परिषद का होगा। ऐसे मामलों में जहाँ उत्पादों की रसायन अवशेष जाँच में रसायन अंश पाये गये हैं, सचिवालय ऐसी रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाल देगा और इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय परिषद को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

## 9. ऑचलिक परिषद्

चूँकि भारत एक विशाल देश है और अधिकांश किसान उत्पादक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं अतः यह संभव है कि पूरे देश में अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों व राज्यों में असंख्य स्थानीय समूह होंगे। इन स्थानीय समूहों से प्रभावी समन्वय के लिये आवश्यक होगा कि प्रादेशिक परिषदें स्थानीय हों और जाँच व निगरानी के लिये उन्हें लम्बी यात्रा न करनी पड़े। इस कारण यह भी संभव होगा कि पूरे देश में अनेक प्रादेशिक परिषदें हों। इन सभी प्रादेशिक परिषदों से प्रभावी समन्वयन के लिये प्रस्ताव है कि देश में ऑचलिक स्तर पर 6 ऑचलिक परिषद हों। प्रारंभ में हो सकता है कि केवल दो ऑचलिक (उत्तर व दक्षिण अंचल) परिषदें हों पर जैसे-जैसे क्षेत्रीय परिषदों की संख्या बढ़ती जायेगी, 6 तक ऑचलिक परिषदों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य व उत्तरपूर्व) का

गठन किया जा सकता है। पी.जी.एस-इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत में जब तक ऑचलिक परिषदों का गठन हो तब तक राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र तथा इसके अधीन 6 क्षेत्रीय खेती केन्द्र ऑचलिक परिषदों का कार्य करेंगे। एक बार स्थायी ऑचलिक परिषदों के गठन के बाद पूरी जिम्मेदारी इन परिषदों को सौंप दी जायेगी तथा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र केवल सचिवालयीन कार्य ही करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ राज्य सरकार या राज्य सरकार के संथान प्रादेशिक परिषद होंगे उनके लिये संबंधित राष्ट्रीय व क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र ऑचलिक परिषद का कार्य करेंगे।

### 9.1 ऑचलिक परिषदों की नियुक्ति

पी.जी.एस सचिवालय की अनुशंसा पर पी.जी.एस-एन.ए.सी. ऑचलिक परिषद की नियुक्ति करेगी। जैविक खेती आंदोलन में प्रतिष्ठित तथा बहुमूल्य योगदान करनी वाली ऐसी स्थापित संस्थाएँ जिन्हें जैविक खेती प्रमाणीकरण तथा जैविक गारंटी विषय पर पर्याप्त अनुभव हो को ऑचलिक परिषद की नियुक्ति हेतु विचार के लिये स्वीकार किया जायेगा। प्रस्तावित संस्था आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा स्वालंबी होनी चाहिए। सरकारी संस्था प्रादेशिक परिषद हेतु संबंधित राष्ट्रीय व क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र ऑचलिक परिषद का कार्य करेंगे।

### 9.2 कार्यकलाप व उत्तरदायित्व

- क्षेत्रीय परिषदों की नियुक्ति हेतु संस्थाओं से आवेदन लेना, आवेदनों की जाँच तथा उनका विश्वसनीयता मूल्यांकन, उपयुक्त पाये जाने पर अनुशंसा सहित आवेदन पी.जी.एस-एन.ए.सी के विचार हेतु पी.जी.एस सचिवालय को भेजना।
- प्रादेशिक परिषदों को सभी वाँछित प्रलेख, नीतियों, साहित्य तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना जिसे वे स्थानीय समूहों तक पहुँचा सकें।
- प्रादेशिक परिषदों के प्रशिक्षण तथा गोष्ठियों में समन्वय कराना।
- पी.जी.एस सचिवालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान विसर्जन कार्यक्रमों का आयोजन तथा समन्वय।
- प्रादेशिक परिषदों के कार्यकलापों की जाँच व निगरानी
- प्रादेशिक परिषदों के निर्णयों के खिलाफ स्थानीय समूह की शिकायतों का निवारण
- प्रादेशिक परिषदों द्वारा प्रमाणीकरण विरुद्ध निर्णय या स्थानीय समूहों को दंड के खिलाफ अपीलिय अधिकरण
- विपणनकर्ता, विक्रेता व उपभोक्ताओं की गुणनियंत्रण या जैविक निष्ठा संबंधित शिकायत की जाँच व उसका निवारण। प्रादेशिक परिषद के

कार्यकलाप या उसके ठीक ढंग से कार्य न करने की शिकायत निवारण या अपील निस्तारण

- रसायन अवशिष्ट जाँच हेतु पी.जी.एस प्रमाणित उत्पादों के नमूने एकत्र करने में पी.जी.एस सचिवालय को सहयोग।

## 10 प्रादेशिक परिषद्

राज्य सरकार संस्थान, गैर सरकारी संस्थायें, केन्द्र व राज्य सरकार प्रायोजित जैविक प्रमाणीकरण सेवा प्रदाता या कोई भी संस्था जिसे जैविक आश्वासन प्रणाली या जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रचालन का पर्याप्त अनुभव हो प्रादेशिक परिषद् के लिये पात्र हो सकती है। ऐसे स्थानीय समूह जो पी.जी.एस कार्यक्रम से तीन वर्ष से जुड़े हों और उन्हें कम से कम 10 अन्य स्थापित स्थानीय समूहों का समर्थन प्राप्त हो, अपनी स्वयं की क्षेत्रीय परिषद् बना सकते हैं। स्थानीय समूह यदि वर्तमान प्रादेशिक परिषद् की कार्यप्रणाली या उसके नियंत्रण से संतुष्ट न हों भी अपनी अलग प्रादेशिक परिषद् बना सकते हैं बशर्ते उन्हें 10 अन्य स्थानीय समूहों का समर्थन प्राप्त हो और वे ऑचलिक परिषद् या संबंधित क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र के माध्यम से पी जी एस सचिवालय को आवेदन करें।

कार्यक्रम के प्रारंभिक वर्षों में पी जी एस सचिवालय तथा ऑचलिक परिषद् सीधे प्रादेशिक परिषदों का चयन कर नियुक्ति हेतु नामित कर सकती हैं। वर्तमान में कार्यशील अन्य क्षेत्रीय पी जी एस संस्थान जो गैर सरकारी पीजीएस कार्यक्रम चला रहे हैं भी प्रादेशिक परिषद् के रूप में नामित किये जा सकते हैं यदि वे इसके लिये आवेदन करें और सभी अहर्ताओं को पूर्ण करते हों। परंतु धीरे-धीरे स्थानीय समूहों को आगे आकर प्रादेशिक परिषद् के रूप में विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा पी जी एस-एन ऐ सी में सदस्यता ऑचलिक स्तर पर चुनाव द्वारा ही प्राप्त हो सकेगी। इस चुनाव में प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् का एक वोट होगा।

### 10.1 प्रादेशिक परिषद् नियुक्ति हेतु पात्रता कसौटी

- जैविक खेती प्रचार-प्रसार एवं जैविक प्रबंधन में अनुभवी हो।
- प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में स्थित हो और उसका अपना स्थायी कार्यालय व कर्मचारी हों।
- कम्प्यूटर व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो।
- संस्था का कम से कम एक सदस्य कम्प्यूटर व इंटरनेट जानता हो व ऑकड़े प्रबंधन में तथा वेबसाइट पर कार्य करने में सक्षम हो।
- जैविक गुणवत्ता आश्वासन तथा प्रमाणीकरण की पूर्ण जानकारी हो तथा/ या पूर्व में तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़े हों।

- कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत पी.जी.एस प्रमाणित 10 स्थानीय समुदायों का समर्थन प्राप्त हो और उनकी सहमति प्राप्त कर ली हो (कार्यक्रम के प्रारंभिक वर्षों में लागू नहीं जब ऑचलिक व प्रादेशिक परिषदें पी जी एस सचिवालय सीधे नियुक्ति करेगा)
- संस्था के सभी सदस्यों ने ऑचलिक व प्रादेशिक परिषद् तथा पी.जी.एस सचिवालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लिया हो।
- प्रादेशिक परिषद के रूप में कार्य करने हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।
- प्रत्येक प्रादेशिक परिषद प्रारंभ में 3 वर्ष के लिये प्राधिकृत की जायेगी। उसके बाद हर तीसरे वर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण प्रादेशिक परिषद द्वारा आवेदन करने पर ऑचलिक परिषद एवं पी.जी.एस सचिवालय की अनुशंसा एवं निगरानी रिपोर्ट पर पी.जी.एस – एन ए सी द्वारा किया जायेगा।

## 10.2 कार्यकलाप एवं उत्तरदायित्व

- वर्तमान में पंजीकृत या नये स्थानीय समूहों को प्रशिक्षण तथा वॉछित प्रलेखन सहयोग
- पी.जी.एस कार्यक्रम से संबंधित सभी साहित्य व प्रलेखों का स्थानीय भाषा में अनुवाद एवं छपाई कर वितरण
- स्थानीय समूहों का पंजीकरण तथा पी.जी.एस – इंडिया वेबसाइट उपयोग हेतु यूजर आई डी तथा पासवर्ड जारी करना।
- यदि स्थानीय समूह के पास कम्प्यूटर व इंटरनेट सुविधा नहीं है तो उन्हें पी.जी.एस-इंडिया वेबसाइट पर ऑकड़े भरने में सहयोग
- यह सुनिश्चित करना कि सभी स्थानीय समूह, प्रक्रिया सारांश शीट जिसमें सभी सदस्यों की जैविक प्रमाणीकरण हेतु वॉछित जानकारी हो ठीक से भरी जा रही है और उनका समय-समय पर उचित रखरखाव हो रहा है।
- प्रादेशिक परिषद स्थानीय समूह में किसी भी सदस्य पर अलग से कोई निर्णय नहीं दे सकती। उसका कार्य है कि पूरे समूह की कार्यप्रणाली व जैविक निष्ठा को जाँच कर समूह द्वारा लिये गये समग्र प्रमाणीकरण निर्णय को मान्य करे या अमान्य करे।
- स्वीकृत समूहों के प्रमाणीकरण निर्णय स्वीकार करने पर पी.जी.एस-इंडिया वेबसाइट से वॉछित प्रमाणपत्र प्रक्रिया को जागृत कर यू आई डी कमांक दें।
- आवश्यकता होने पर वेबसाइट द्वारा जारी प्रमाण पत्र छाप कर उत्पादक समूहों को जारी करें।

साधारणतया जब स्थानीय समूह की प्रक्रिया सारांश शीट, जो कम से कम समूह के तीन वरिष्ठ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो को प्रादेशिक परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रादेशिक परिषद् वेबसाइट द्वारा यू आई डी क्र. जारी कर प्रमाणीकरण जागृत कर देती है। यू आई डी क्र. जारी होने पर स्थानीय समूह वेबसाइट से अपने सभी प्रमाणीकृत सदस्यों का प्रमाण पत्र छाप सकता है। यदि समूह के पास कम्प्यूटर व इंटरनेट सुविधा नहीं है तो प्रादेशिक परिषद् को स्वयं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे।

- समय-समय पर समूहों की पुनरीक्षण प्रक्रिया में भाग लें।
- स्थानीय समूह को जरूरी दिशानिर्देश तथा दंडात्मक प्रक्रिया की जानकारी दें।
- सभी विपणन संस्थाओं को स्थानीय समूह तक पहुँच और समूहों की प्रक्रिया सारांश शीट तथा जैविक आश्वासन स्तर की जानकारी सुनिश्चित करना।
- प्रमाणीकरण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रादेशिक परिषदों व उनके स्थानीय समूहों के बीच एक-दूसरे को उपयुक्त मान्यता, एक-दूसरे के क्षेत्रों में प्रमाणीकृत क्षेत्रों की जैविक आश्वासन प्रक्रिया की जाँच व निगरानी में सहयोग।
- प्रक्रिया पर विश्वास व उसकी साख बढ़ाने के लिये जन प्रतिनिधियों तथा संचार माध्यम के प्रतिनिधियों को जोड़ना व पूर्ण प्रक्रिया तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना।

## 11 स्थानीय समूह

सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली में स्थानीय समूह सबसे प्रमुख कार्यान्वयन व निर्णय करने वाली इकाई है। स्थानीय समूह उन किसानों का समूह है जो उसी या आस-पास के गाँवों में रहते हैं और लगातार एक-दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं। उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि, विक्रेता या विपणनकर्ताओं की स्थानीय समूह तथा उसके कार्यान्वयन में भागीदारी पूरी प्रणाली में उपभोक्ताओं की निष्ठा व विश्वास बढ़ाने में सहायक होगी। स्थानीय समूह निम्न प्रकार से बनाये जा सकते हैं

- वर्तमान में तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़े ICS समूह
- पी.जी.एस. समूह जो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रचालित पी.जी.एस प्रणाली से जुड़े हैं
- स्थानीय किसानों या उपभोक्ताओं द्वारा किसानों को जोड़कर बनाया समूह

- या किसी गैर सरकारी या सरकारी संस्था द्वारा प्रयोजित ऐसा समूह जिसको उन संस्थाओं द्वारा पी.जी.एस. प्रणाली में प्रशिक्षित किया गया है।
- वर्तमान में कार्यरत अन्य समूह जैसे स्वयं सहायता समूह या किसान सहकारी समिति इत्यादि को पी.जी.एस समूह में शामिल करना अधिक आसान होगा।

### **स्थानीय समूह गठन की आवश्यकताएं तथा पात्रता कसौटी**

- स्थानीय समूह कम से कम ऐसे 5 सदस्यों का होना चाहिये जो उसी गाँव के रहने वाले हों या ऐसे आस-पास के गाँवों के जिनकी सीमायें आपस में जुड़ी हों। एक समूह में अधिकतम् कितने सदस्य होंगे इसका निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित प्रादेशिक परिषद करेगी।
- समूह में महिला किसानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- समूह के कुछ सदस्यों को पी.जी.एस. जैविक आश्वासन प्रणाली, प्रमाणीकरण प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय जैविक मानकों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये या कुछ सदस्य पी.जी.एस. सचिवालय, ऑचलिक परिषद या प्रादेशिक परिषद द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित होने चाहिए या कुछ सदस्य अन्य कार्यशील पी.जी.एस समूहों के कम से कम दो वर्ष तक सदस्य रहे हों।
- सभी सदस्यों को पी.जी.एस शपथ एवं समूह समझौते पर हस्ताक्षर कर इस बात के लिये प्रतिबद्ध होना आवश्यक है कि वे उस समूह की दूर दृष्टि, सहभागिता तथा सामूहिक उत्तरदायित्व में सक्रिय भागीदार होंगे।
- यद्यपि समूह के सदस्यों की जोत आकार पर कोई रोक नहीं है परंतु यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी एक सदस्य की कुल जोत पूरे समूह की कुल जोत की एक तिहाई से अधिक न हो।
- पी.जी.एस. आश्वासन प्रणाली में साधारणतया समानांतर उत्पादन या आंशिक परिवर्तन स्वीकार नहीं होता है इसलिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य अपने पूरे खेतों व पशुधन को पी.जी.एस जैविक मानकों के अनुरूप जैविक प्रबंधन के अंतर्गत लायें। परंतु कुछ परिस्थितियों में संबंधित प्रादेशिक परिषद चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन की अनुमति दे सकती है। परंतु ऐसी सभी स्थितियों में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सदस्य अपनी पूरी जोत व पशुधन को अधिकतम् 24 महीने में पी.जी.एस जैविक प्रबंधन के अंतर्गत लायें।

यदि कोई किसान/सदस्य अपनी पूरी जोत व पशुधन को 24 महीने के अधिकतम समय में जैविक प्रबंधन के अंतर्गत लाने में विफल रहता है तो वह सदस्य पी.जी.एस प्रमाणीकरण का पात्र नहीं हो सकेगा और उसकी पूरी जोत व पशुधन परिवर्तन कालावधि के अधीन ही मानी जायेगी।

- समूह के पास सभी वॉछित पी.जी.एस प्रलेख प्रारूप होने चाहिये और यदि कम्प्यूटर व इंटरनेट सुविधा हो तो अच्छा रहेगा।
- संबंधित प्रादेशिक परिषद के साथ पंजीकृत कर वेबसाइट उपयोग हेतु वॉछित यूजर आई.डी. व पासवर्ड प्राप्त कर लिया हो।
- यदि कोई समूह वेबसाइट उपयोग करने में सक्षम न हो तो वे इस कार्य के लिये प्रादेशिक परिषद या किसी अन्य सहायक संस्था या किसी गैर सरकारी संस्था की मदद ले सकते हैं।

### **स्थानीय समूह कार्यकलाप एवं उत्तरदायित्व**

- किसानों को एक समूह रूप में गठित करना तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग-अलग पी.जी.एस शपथ तथा समूह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना।
- सभी सदस्यों को पी.जी.एस मानक, कार्यप्रणाली पुस्तिका, पुनरीक्षण कार्य इत्यादि की स्थानीय भाषा में एक-एक प्रति उपलब्ध कराना। यदि किसान अनपढ़ है तो सारी जानकारी मौखिक रूप से या चित्रों द्वारा समझाई जानी चाहिये।
- सभी सदस्यों के खेतों का पूर्व इतिहास तथा जानकारी का प्रलेखन
- समूह के नेता तथा पुनरीक्षण कमेटी के सदस्यों (5 सदस्यों के समूह में कम से कम 3) का चुनाव करना। पुनरीक्षण समिति में कितने अधिकतम सदस्य हों या कितनी समितियाँ हों इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आदर्श स्थिति तो यह होगी कि समूह का प्रत्येक सदस्य पुनरीक्षण प्रक्रिया में भाग ले तथा समूह के क्षमता निर्माण तथा ज्ञान के आदान-प्रदान में भागीदार बने इससे सदस्यों के हित-विरोध की संभावना भी कम होगी।
- अन्य पंजीकृत पी.जी.एस. समूह के कार्यकलापों में भागीदार बनकर पी.जी.एस. प्रक्रिया को भली-भाँति समझा जाये। सभी पी.जी.एस. मानक आवश्यकताओं को सभी सदस्यों के खेतों पर लागू कराया जाये तथा अन्य पंजीकृत समूह के सदस्यों द्वारा निरीक्षण कराकर पंजीकरण सिफारिश प्राप्त की जाये। यह सिफारिश केवल एक बार जब समूह का पंजीकरण कराना हो तभी आवश्यक होगी।
- पी.जी.एस. वेबसाइट पर ऑन लाइन पंजीकरण तथा नजदीक की प्रादेशिक परिषद से पंजीकरण स्वीकृति प्राप्त करना।



स्थानीय समूह को केवल एक बार ही स्वीकृति की आवश्यकता होगी इसके पश्चात् कोई नवीनीकरण नहीं कराना होगा। यदि कोई समूह क्रियाविधि का ठीक से पालन नहीं करता है (जैसे उपयुक्त प्रलेखन का अभाव, रसायन अवशेष जाँच में रसायन उपयोग की पुष्टि, निगरानी व जाँच प्रक्रिया में कमियाँ इत्यादि) तो उसका पंजीकरण निरस्त हो सकता है या दंड स्वरूप उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में उस समूह को तभी दुबारा शामिल किया जा सकेगा जब वे सभी भूल सुधार करें और उसकी सत्यता की प्रादेशिक परिषद द्वारा जाँच कर ली जाये।

- यदि नजदीक में कोई अन्य पी.जी.एस. पंजीकृत समूह नहीं है तो पंजीकरण सिफारिश हेतु राज्य संस्थाओं (राज्य के स्थानीय जिला कृषि अधिकारी या जिला कृषि कार्यालय) में संपर्क करें। राज्य संस्थाएँ जाँच कर अपनी संस्तुति प्रादेशिक परिषद को दे सकती हैं। या समूह सीधे प्रादेशिक परिषद को जाँच हेतु आवेदन कर स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त में से कोई भी विकल्प न होने पर समूह संबंधित क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र से संपर्क कर उन्हें जाँच करने व पंजीकरण सिफारिश हेतु आवेदन कर सकता है।
- वेबसाइट पर जानकारी व ऑकड़े भरने हेतु प्रादेशिक परिषद से वॉछित यूजर आई.डी. व पासवर्ड प्राप्त करें।
- समय-समय पर समूह की मीटिंग करें तथा उनमें उपस्थिति व चर्चा विवरण को रजिस्टर में भरें। सदस्यों का इन गोष्ठियों में भाग लेना अति आवश्यक है इससे समूह की जैविक आश्वासन प्रणाली में उनकी प्रतिबद्धता दर्शित होती है। एक वर्ष में ऐसी कम से कम 6 या अधिक या संबंधित प्रादेशिक परिषद द्वारा निर्देशित गोष्ठियाँ आयोजित की जानी चाहिये। गोष्ठियों का समय फसल उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त समय पर होना चाहिये।
- सभी सदस्यों को कम से कम 50% गोष्ठियों में भाग लेना तथा उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
- समूह की क्षमता बढ़ाने तथा विभिन्न कार्यकलापों में सुधार हेतु आपस में जानकारी व ज्ञान का आदान-प्रदान करें।
- समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करें जिनमें विशेषज्ञों, विशेषज्ञ किसानों, दूसरे समूह के सदस्यों, सरकारी व गैर सरकारी विशेषज्ञों तथा प्रादेशिक परिषद के प्रतिनिधि को आमंत्रित करें।
- योजना बनाकर पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रचालन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक फार्म का वर्ष में कम से कम 2 बार पूर्ण निरीक्षण हो। पुनरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सदस्य का पुनरीक्षण फार्म पूरी तरह भरकर पुनरीक्षक दल के सभी सदस्यों के

हस्ताक्षर सहित समूह प्रमुख को दिया जाये। सभी पुनरीक्षण कार्य कम से कम तीन सदस्यीय पुनरीक्षक दल द्वारा किया जाना चाहिये। पुनरीक्षण दल में यदि उपभोक्ता प्रतिनिधि को भी शामिल कर लिया जाये तो इससे समूह की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

- पुनरीक्षक दल के सदस्यों के फार्म का निरीक्षण दूसरा पुनरीक्षक दल करेगा। विश्वसनीयता निर्माण हेतु एक समूह में कितने ही पुनरीक्षक हो सकते हैं।
- उपयुक्त समय पर समूह निर्णय करे कि कौनसे सदस्य प्रमाणीकरण योग्य हैं। पुनरीक्षण में जिन सदस्यों के क्रियाकलापों में कमी या विसंगति पाई गई हो या जिन्हें प्रमाणीकरण योग्य न पाया गया हो उन्हें अलग से सूचीबद्ध करें। जिन सदस्यों को उल्लंघन का दोषी पाया गया है उन्हें दंडित करें।
- पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने पर समूह की निर्णय मीटिंग करें तथा सभी सदस्यों को पुनरीक्षण परिणामों से अवगत करायें। यदि समूह छोटा है (10 तक सदस्य) तो पूरा समूह मिलकर प्रमाणीकरण निर्णय करे। यदि समूह बड़ा है तो चुनाव द्वारा एक प्रमाणीकरण कमेटी जिसमें 5 या अधिक सदस्य हों का गठन करें। यह कमेटी पुनरीक्षण फार्मों की जाँच कर प्रमाणीकरण निर्णय करेगी। विपरीत निर्णय (जैसे कुछ सदस्यों को प्रमाणीकरण से बाहर करना) समूह के अधिकांश सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिये। प्रमाणीकरण कमेटी के निर्णय पर विवाद की अवस्था में समूह के सभी सदस्य मिलकर अपील सुनेंगे और सामूहिक निर्णय करेंगे।
- उपयुक्त समय पर सारांश शीट जिसमें सभी सदस्यों के प्रमाणीकरण स्थिति की जानकारी हो, प्रमाणीकृत सदस्यों की सूची हो और सदस्यवार, फसलवार अपेक्षित उत्पादन की मात्रा निहित हो तैयार करें।
- पूरी जानकारी सहित यह सारांश शीट प्रादेशिक परिषद् को दें। यदि सभी जानकारी पी.जी.एस. वेबसाइट पर डाल दी गई हो तो केवल सारांश शीट की हस्ताक्षरित प्रति प्रादेशिक परिषद् को भेजें।
- प्रादेशिक परिषद् से स्वीकृति प्राप्त होने पर वेबसाइट कार्यक्रम द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा प्रत्येक सदस्य को उसका अलग प्रमाण पत्र दें।

### **किसान व किसान परिवार**

पी.जी.एस. प्रणाली में चूंकि आंशिक परिवर्तन तथा सामानांतर उत्पादन स्वीकार्य नहीं है अतः किसान का पूरा परिवार, उसके सभी खेत तथा पशुधन को एक निश्चित अवधि में पी.जी.एस. प्रणाली के अधीन लाना आवश्यक है। जब भी कोई किसान परिवार जैविक प्रबंधन अपनाकर पी.जी.एस. जैविक आश्वासन प्रणाली से जुड़ना चाहता है तो प्रथम चरण के

रूप में उसे उसके गाँव में स्थित या नजदीक के गाँव के पी.जी.एस. समूह का सदस्य बनना होगा।

### **किसान परिवार से अपेक्षित कार्यकलाप व उत्तरदायित्व**

- जैविक मानकों व सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी व समझ के लिये आवश्यक है कि पी.जी.एस. मानकों की एक प्रति प्राप्त कर उसका अच्छी तरह अध्ययन कर लिया जाये। स्थानीय समूह की बैठकों में भाग लेकर तथा अन्य सदस्यों से चर्चा कर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करें कि पूरी कृषि एवं फार्म प्रबंधन प्रणाली पी.जी.एस. मानकों व आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- समूह पंजीकरण हेतु फार्म इतिहास सहित आवेदन पत्र दें तथा पी.जी.एस. शपथ पर हस्ताक्षर करें। शपथ पर हस्ताक्षर इस बात का सबूत है कि सदस्य ने पूरी जैविक प्रबंधन व आश्वासन प्रणाली को समझ लिया है और वह जैविक मानकों को अपनाने हेतु प्रतिबद्ध है।
- स्थानीय समूहों के अन्य सदस्यों के पुनरीक्षण व निरीक्षण में भागीदारी करें।
- समूह के सभी प्रशिक्षणों में भाग लें।
- स्थानीय समूह की गोष्ठियों में भाग लें, अपने सहयोगियों को सुझाव दें तथा जानकारी के आदान-प्रदान से समूह के क्षमता निर्माण में भागीदार बनें।
- उपभोक्ताओं व विक्रेताओं को आमंत्रित कर उन्हें अपने खेतों का भ्रमण करायें।

### **प्रमाणीकरण प्रक्रिया**

#### **किसान व उसके क्षेत्र पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया**

##### **पद-1**

- किसान द्वारा जैविक प्रबंधन अपनाने का निर्णय तथा पी.जी.एस. प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़ने की सहमति।
- पढ़कर व सुनकर जैविक मानकों का ज्ञान। उचित समझ व जानकारी समूह की गोष्ठियों में भाग लेकर सुनिश्चित की जा सकती है।
- फार्म व पशुधन प्रबंधन में सभी प्रकार के रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध।

- आवास प्रबंधन, जैव विविधता निर्माण, पशुधन का कृषि से अंतर्संबंध सुनिश्चित करना तथा अन्य आस-पास के खेतों से कोई संदूषण न आये उसके लिये उपाय करना।
- यदि किसान अपने पूरे फार्म या पशुधन को पंजीकरण के समय एक साथ जैविक प्रबंधन के अंतर्गत नहीं ला सकता है तो पूरी प्रणाली के जैविक में परिवर्तन हेतु चरणबद्ध योजना बनाकर समूह से उसकी स्वीकृति प्राप्त करें। ऐसी स्वीकृति देने के लिये समूह को प्रादेशिक परिषद को पूर्ण जानकारी देकर उसकी स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी।
- जैविक मानकों की अनुपालना प्रतिबद्धता हेतु पी.जी.एस. शपथ पर हस्ताक्षर करना।

### पद-2

- समूह की गोष्ठियों व प्रशिक्षणों में लगातार भागीदारी
- यदि संभव हो तो पूरे फार्म व पशुधन प्रबंधन क्रियाकलापों को एक डायरी में लिखें। अनपढ़ किसान इस कार्य में अपने शिक्षित पुत्र, पुत्रियों या अन्य सहयोगी सदस्यों की मदद ले सकते हैं।
- समूह के पुनरीक्षण व निरीक्षण कार्यों में भागीदारी करें। यह भागीदारी पहले परछाई निरीक्षक के रूप में तथा बाद में पूर्ण निरीक्षक के रूप में की जा सकती है।

### पद-3

- प्रत्येक किसान का पुनरीक्षण उसी समूह के पुनरीक्षक दल द्वारा प्रत्येक फसल चक्र में कम से कम एक बार अवश्य किया जायेगा। पुनरीक्षण दल में कम से कम तीन (या समूह के निर्णयानुसार अधिक) निरीक्षक उपस्थित होने चाहिये और पुनरीक्षण फार्म पर उन सभी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
- यदि संभव हो तो पुनरीक्षण में उपभोक्ता या विपणनकर्ताओं के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी को भी शामिल करें। परंतु उनकी उपस्थिति हमेशा सुनिश्चित करने की बाध्यता नहीं है।
- सभी पुनरीक्षणों में एकरूपता (अर्थात् पूर्ण परंतु अधिक उत्साही नहीं) सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि सभी जॉच बिन्दु लिखित रूप में नोट किये जायें। जॉच बिंदुओं में प्रमुख है खेतों के सभी हिस्सों की जॉच व निरीक्षण, निरीक्षित किसान से प्रक्रिया संबंधी सवाल-जवाब, किसान की जैविक मानकों की समझ तथा प्रबंधन प्रणाली में मानक आवश्यकताओं की अनुपालना का स्तर।

- पुनरीक्षण दल के शिक्षित सदस्यों का यह दायित्व होगा कि पुनरीक्षण फार्म के सभी जॉच बिन्दुओं पर जॉच हो व उसके परिणाम लिखे जायें। पुनरीक्षण पश्चात् सभी पुनरीक्षण दल सदस्य फार्म पर हस्ताक्षर कर किसान के जैविक प्रतिभूति स्तर पर निर्णय दें। पुनरीक्षण प्रक्रिया संबंधित किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य की उपस्थिति में ही की जानी चाहिये तथा पुनरीक्षण फार्म के अंत में उस सदस्य या किसान के हस्ताक्षर अवश्य लिये जाने चाहिये।

#### पद-4

- एक समूह के सभी सदस्यों के निरीक्षण पश्चात् समूह या समूह द्वारा नामित प्रमाणीकरण कमेटी यह निर्णय करेगी कि उस वर्ष में कौनसा सदस्य प्रमाणीकृत किया जा सकता है और किनको प्रमाणीकरण योग्य नहीं पाया गया।
- समूह प्रमाणीकरण निर्णय के अनुसार सारांश शीट बनाकर वेबसाइट में प्रविष्टि करेगा और एक प्रति प्रादेशिक परिषद् को भेजेगा।
- प्रादेशिक परिषद् से स्वीकृति प्राप्त होने पर समूह के सभी प्रमाणीकृत सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

#### स्थानीय समूह स्तर पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया

##### पद-1

- कम से कम 5 सदस्यों (जो एक ही गाँव या सीमाओं से जुड़े गाँव के वासी हों) का समूह बनायें।
- सभी सदस्यों के पंजीकरण आवेदन व फार्म इतिहास विवरण शीट एकत्र करें।
- नजदीक की प्रादेशिक परिषद् से पी.जी.एस. मानक तथा पी.जी.एस. प्रचालन पुस्तिका प्राप्त कर सभी सदस्यों को उनकी एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। ये सभी प्रलेख पी.जी.एस. वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- सभी सदस्यों के साथ मीटिंग कर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें।
- स्थानीय समूह प्रचालन दिशा-निर्देश पुस्तिका बनायें जिसमें वॉछित प्रलेखों का विवरण, पुनरीक्षण प्रणाली विवरण, मूल्यांकन जॉच बिन्दु इत्यादि का विवरण हो। पूरी कार्यप्रणाली प्रक्रिया पी.जी.एस. दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिये।

टिप्पणी

यदि कोई सदस्य प्रमाणीकरण की तीन प्रमुख आवश्यकताओं (समूह की गोष्ठियों में भागीदारी पी.जी.एस. शपथ की अनुपालना तथा पुनरीक्षण में कोई उल्लंघन न पाया जाना) की पूर्ति करता है तो वह प्रमाणीकरण का अधिकारी है। पी.जी.एस. एक ऐसी अंतर्निहित प्रणाली है जिसका प्रमुख आधार विश्वास है इसी कारण यह तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया से अलग है जिसमें उत्पादक को अनेक प्रकार के प्रलेखों द्वारा अपनी अनुपालना तथा जैविक निष्ठा साबित कर तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण संस्था को संतुष्ट करना पड़ता है।

एक छोटे गाँव में हर किसान अपने पड़ोसी के सभी कार्यकलापों की पूरी जानकारी रखता है और ये ही सभी किसान समूह में इस बात के लिये उत्तरदायी हैं कि कौन प्रमाणीकरण का हकदार है कौन नहीं। एक किसान द्वारा किया गया उल्लंघन पूरे समूह के प्रमाणीकरण व उनकी जैविक निष्ठा को प्रभावित कर सकता है अतः इस बात की अधिक संभावना है कि वे उल्लंघन के दोषी किसानों को प्रमाणीकरण न दें।

जानकारी के आदान-प्रदान तथा सामग्री व नैतिक सहयोग से नये किसानों की समस्या निवारण करें और उन्हें प्रतिबंधित आदानों के प्रयोग से रोकें।

उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर उस किसान के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें। (जैसे प्रमाणीकरण का अस्थायी निलंबन परंतु किसान की सदस्यता बरकरार रखना) इस बात के अनगिनत सबूत मिल जायेंगे जो यह साबित करते हैं कि स्थानीय सामाजिक नियंत्रण तृतीय पक्ष निरीक्षक की जाँच (जो पूरे वर्ष में एक या दो बार कुछ घंटों की जाँच पर आधारित हो) से कहीं अधिक प्रभावी होता है।

- यह सुनिश्चित करें कि सभी सदस्यों ने अपने सभी खेतों व पशुधन को जैविक प्रबंधन में लाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। यदि कुछ सदस्यों ने चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन की मंशा जाहिर की है तो सुनिश्चित करें गैर जैविक क्षेत्र, जैविक क्षेत्रों से अलग रहें और उनका अलग रखरखाव हो।
- किसी स्थापित पंजीकृत समूह के सदस्यों को आमंत्रित कर अपने समूह के लिये पंजीकरण सिफारिश प्राप्त करें। यदि नजदीक में कोई पी.जी.एस. समूह नहीं है तो स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क कर उसे पूरी कार्यप्रणाली प्रदर्शित करें और सिफारिश प्राप्त करें। वैकल्पिक रूप से जाँच व सिफारिश हेतु प्रादेशिक परिषद् से भी

संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई भी विकल्प उपलब्ध न होने पर संबंधित क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र से संपर्क कर जाँच व सिफारिश हेतु आवेदन किया जा सकता है।

- समूह को पी.जी.एस. वेबसाइट पर आन लाइन पंजीकरण हेतु वॉछित ऑकड़े भरने होते हैं। यदि समूह के पास कम्प्यूटर व इंटरनेट सुविधा नहीं है तो स्थानीय कम्प्यूटर आपरेटर व इंटरनेट कैफे प्रचालकों की सहायता ली जा सकती है। उपरोक्त विकल्प न होने पर सभी जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में भरकर प्रादेशिक परिषद् को आवेदन करें तथा वेबसाइट पर पंजीकरण हेतु भी निवेदन करें।
- प्रादेशिक परिषद् के साथ जो भी सुविधायें प्राप्त करनी हो उसके अनुसार वॉछित करार करें। प्रादेशिक परिषद् को यूजर आई.डी. व पासवर्ड जारी करने हेतु निवेदन करें।

### **पद-2**

- समूह मीटिंगों, प्रमुख प्रशिक्षणों तथा जानकारी के आदान-प्रदान में पी.जी.एस. दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- साथी सदस्यों के खेतों पर निगरानी करें और उल्लंघन की जानकारी होने पर समूह के अन्य सदस्यों को समूह मीटिंग में इसका विवरण दें।
- प्रादेशिक परिषद् के साथ मिलकर समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करें।
- पोषण तथा कीट प्रबंधन में समस्या निराकरण हेतु विशेषज्ञ किसानों या विषय विशेषज्ञों को समूह प्रशिक्षणों में या समूह मीटिंगों में आमंत्रित करें।
- सभी मीटिंगों व प्रशिक्षणों का उपस्थिति रजिस्टर रखें।
- यदि कोई सदस्य बाह्य या क्य किये गये आदान का प्रयोग करना चाहते हैं तो समूह उस आदान के जैविक स्तर की जाँच कर तथा समूहों सदस्यों से विचार-विमर्ष कर उसके प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं या उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकते हैं ऐसे सभी आदानों का बिना पूर्व अनुमति के प्रयोग, प्रक्रिया का उल्लंघन माना जायेगा।

### **पद-3**

- पुनरीक्षण प्रक्रिया की योजना बनायें तथा पुनरीक्षण दलों का गठन करें। प्रत्येक दल में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिये। सदस्यों की संख्या के अनुरूप पुनरीक्षक दलों की संख्या कितनी भी हो सकती है और प्रत्येक दल में 3 से अधिक कितने भी सदस्य हो

सकते हैं। दल में कम से कम एक सदस्य शिक्षित होना चाहिये तथा वह पुनरीक्षण प्रक्रिया तथा मूल्यांकन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया से भली-भाँति परिचित होना चाहिये।

- दो सदस्य दलों का एक-दूसरे का पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा (जैसे दल क, दल ख के सदस्यों का पुनरीक्षण करे तथा दल ख दल क के सदस्यों का)
- दूसरे पी.जी.एस. समूह के पुनरीक्षक या स्थानीय राज्य कृषि अधिकारी को भी पुनरीक्षण कार्य के लिये आमंत्रित किया जा सकता है यद्यपि उनकी भागीदारी होने की कोई बाध्यता नहीं है परंतु इससे समूह की प्रतिष्ठा व विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- प्रत्येक फसल ऋतु में सभी सदस्यों के सभी खेतों का कम से कम एक बार पुनरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी खेतों व प्रक्रियाओं की उद्देश्यात्मक जाँच कर ली गई है।
- समूह की मीटिंग में पुनरीक्षण परिणामों पर विचार-विमर्श कर प्रत्येक सदस्य के प्रमाणीकरण स्तर का अलग-अलग निर्णय करें।
- ऐसे सदस्य जिन्होंने सभी मानक आवश्यकताएं पूरी की हैं को अलग से सूचीबद्ध करें और उन्हें प्रमाणीकरण प्रदान करने हेतु अनुशंसा करें।
- ऐसे सदस्य जिन्होंने सभी मानक आवश्यकताएँ पूरी नहीं की हैं या उन्होंने किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है तो उनके स्तर का निर्धारण करें और उल्लंघन के प्रकार या उसकी गहनता के आधार पर दंडात्मक प्रक्रिया का निर्धारण करें तथा आवश्यक दण्ड जारी करें।

#### पद-4

- सभी पुनरीक्षण फार्मों की पूर्णता जाँच करें तथा स्थानीय समूह सारांश शीट तैयार करें।
- पूरा समूह या प्रमाणीकरण समिति प्रमाणीकरण निर्णय प्रक्रिया शुरू करें तथा प्रत्येक सदस्य के प्रमाणीकरण स्तर पर निर्णय करे।
- सभी जानकारियों व निर्णयों इत्यादि को वेबसाइट पर डालें तथा हस्ताक्षर की गई सारांश शीट प्रादेशिक परिषद को भेजें। वेबसाइट की उपलब्धता न होने की दशा में पूर्ण जानकारी तथा निर्णय लिखित रूप में हस्ताक्षरित सारांश शीट के साथ प्रादेशिक परिषद को भेजें जिसे प्रादेशिक परिषद वेबसाइट में भरेगी।
- प्रादेशिक परिषद् सभी जानकारी व प्रलेखों की जाँच करेगी। समूह के प्रमाणीकरण निर्णय को स्वीकृति देते समय यदि प्रादेशिक परिषद ने कोई निगरानी जाँच की है तो उसके परिणाम या रसायन अवशेष जाँच में कोई विशिष्ट प्रतिकूल बात सामने आयी है



या समूह के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसका संज्ञान अवश्य लेगी। परंतु दी गई सूचना के आधार पर प्रादेशिक परिषद किसी भी सदस्य के शामिल करने या उसके बाहर निकालने या दंड देने पर कोई निर्णय नहीं कर सकेगी। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रादेशिक परिषद या तो समूह के प्रमाणीकरण निर्णय को स्वीकृत करेगी या पूरे निर्णय को ही अस्वीकृत कर देगी। पूरी तरह आश्वस्त होने पर ही प्रादेशिक परिषद समूह के प्रमाणीकरण निर्णय को स्वीकृत करेगी तथा स्वीकृति वेबसाइट पर प्रभावी कर दी जायेगी।

- निर्णय स्वीकृति उपरांत स्थानीय समूह वेबसाइट से प्रमाण पत्र छाप कर सभी सदस्यों को अलग-अलग प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि समूह के पास कम्प्यूटर व इंटरनेट सुविधा नहीं है तो स्थानीय समूह के निवेदन पर प्रादेशिक परिषद् प्रमाण पत्र छापकर समूह के प्रमुख को वितरण हेतु प्रदान करेगी।

केवल वही किसान जिन्होंने परिवर्तन कालावधि पूर्ण कर ली है और जिनके खिलाफ कोई बड़ा या गंभीर उल्लंघन का मामला नहीं है "पीजीएस जैविक" के अधिकारी होंगे। ऐसे किसान जिनके विरुद्ध एक या दो बड़ा उल्लंघन मामला है या वे परिवर्तन कालावधि में है "पीजीएस-ग्रीन" के अधिकारी होंगे। केवल वे ही फसलें जो समूह के सदस्य बनने व शपथ हस्ताक्षर करने के बाद बोई गई हों तथा उनके प्रबंधन में सभी पीजीएस मानक आवश्यकताओं की अनुपालना की गई है पुनरीक्षण प्रक्रिया में वॉछित अनुशंसा के बाद ही पीजीएस-ग्रीन प्रमाणीकरण की अधिकारी होंगी। एक ही बिन्दु पर लगातार 3 बार सुधार सलाह उस सदस्य के प्रमाणीकरण स्तर को प्रभावित कर सकती है।

## प्रादेशिक परिषद् स्तर पर प्रमाणीकरण प्रक्रिया

### पद-1

- स्थानीय समूहों के आवेदन प्राप्त करना (ऑन लाइन या लिखित रूप में)। सभी सदस्य किसानों की पूर्व इतिहास जाँच। दूसरे पंजीकृत समूह या केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा दी गई अनुशंसा की जाँच।
- समूह के साथ कार्यप्रणाली तथा आपसी संबंधों पर सहमति। यदि आवश्यक हो तो विभिन्न सेवाओं हेतु वॉछित करार तथा दी जाने वाली सेवाओं के लिये शुल्क निर्धारण। यदि वेबसाइट पर सारी जानकारी प्रादेशिक परिषद् द्वारा भरी जानी है तो उससे संबंधित समस्त कार्य प्रणाली पर निर्णय व सहमति।

- यह सुनिश्चित करना कि सभी सदस्य किसानों ने अपनी पूरी जोत जैविक प्रबंधन के अधीन लाने की प्रतिबद्धता दी है। ऐसे मामलों में जहाँ परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से किया जाना है तो पूरी संतुष्टि कर निश्चित अवधि में पूर्ण जैविक प्रबंधन पालन की स्वीकृति देना।
- सभी आवश्यकताएं पर्याप्त होने तथा कार्य प्रणाली पर सहमति होने पर पंजीकरण करना।
- यदि आवेदन ऑन लाइन किया गया है तो पंजीकरण स्वीकृति भी वेबसाइट से देना तथा आगे सभी कार्यवाही हेतु यूजर आई डी व पासवर्ड देना।
- यदि आवेदन लिखित रूप में किया गया है तो सभी ऑकड़ों व जानकारी को वेबसाइट में भरना तथा पंजीकरण स्वीकृत कर यूजर आई डी व पासवर्ड देना।
- पी.जी.एस. मानकों तथा स्थानीय समूह कार्यप्रणाली तथा मार्गदर्शक दिशा-निर्देशों की एक प्रति प्रदान करना।

#### पद-2

- समय-समय पर स्थानीय समूहों हेतु वॉछित प्रशिक्षण आयोजित करना तथा जब भी संभव हो स्थानीय समूहों की बैठकों व प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- वेबसाइट पर ऑकड़े व जानकारी डालने की प्रक्रिया में समूह के क्षमता निर्माण में मदद करना (इसमें स्थानीय इंटरनेट कैफे का भी प्रयोग किया जा सकता है)।
- यदि आवश्यक हो तो स्थानीय समूह की कार्यविधि पर जाँच व निगरानी कर यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय समूहों ने सभी वॉछित क्षमतायें प्राप्त कर ली हैं और वे सभी मानकों का पालन कर रहे हैं।
- स्थानीय समूह सदस्यों की समूह की कार्य प्रणाली के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई व निवारण।

#### पद-3

- सभी वॉछित ऑकड़े तथा स्थानीय समूह सारांश शीट प्राप्त होने पर उसकी जाँच करना तथा सभी मानक आवश्यकताओं की अनुपालना पर संतुष्टि होने पर समूह के प्रमाणीकरण निर्णय को स्वीकृत करना। स्वीकृति वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाइन दी जानी है ताकि समूह अपने स्तर पर प्रमाण पत्र छाप सके।
- प्रादेशिक परिषद प्रमाणीकरण निर्णय को स्वीकृति जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि समूह की कार्य प्रणाली के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है, रसायन अवशेष जाँच में कोई आपत्ति नहीं

है तथा निगरानी जॉच में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है तथा सभी मानक आवश्यकताओं की अनुपालना की गई है।

- प्रमाणीकरण निर्णय को अस्वीकृत करने की दशा में अस्वीकृति के कारण तथा उसका आधार लिखित रूप में दिया जाना चाहिये।
- प्रादेशिक परिषद को प्रमाणीकरण स्वीकृति आवेदन प्राप्त होने, या स्थानीय समूह की सारांश शीट वेबसाइट पर डालने या लिखित रूप में सारी जानकारी प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिन के अंदर अपना निर्णय देना होगा। यदि प्रादेशिक परिषद 15 दिन में अपना (स्वीकृति या कारण सहित अस्वीकृति) निर्णय देने में असफल रहती है तो ऑचलिक परिषद हस्तक्षेप कर सकती है और अगले 7 दिन में निर्णय दे सकती है। यदि ऑचलिक परिषद भी समय सीमा में निर्णय देने में असफल रहती है तो स्थानीय समूह सीधे पी.जी.एस. सचिवालय से वॉछित निर्णय हेतु आवेदन कर सकता है।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रादेशिक परिषद, समूह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी किसान को जोड़ने या बाहर रखने का निर्णय नहीं कर सकती है उसे केवल समूह द्वारा लिये गये पूर्ण निर्णय को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है।

उदाहरण के लिये, यदि प्रादेशिक परिषद को किसी एक किसान के क्रिया-कलापों पर संदेह है (जैसे रसायन अवशिष्ट जॉच उसके विरुद्ध है) परंतु समूह बताये जाने पर भी उस किसान को प्रमाणीकृत किसानों की सूची में शामिल करता है तथा न तो इस निर्णय पर कोई स्पष्टीकरण देता है और न ही उसे किसी दण्डात्मक प्रक्रिया में शामिल करता है तो प्रादेशिक परिषद को यह अधिकार है कि वह पूरे समूह के प्रमाणीकरण निर्णय को स्वीकृति प्रदान न करे।

या ऐसा भी हो सकता है कि प्रादेशिक परिषद को लगे कि कुछ किसान सदस्यों का पुनरीक्षण फर्जी है या पुनरीक्षण ठीक तरह से नहीं किया गया है तो भी प्रादेशिक परिषद केवल ऐसे किसानों के प्रमाणीकरण स्तर पर अलग से कोई निर्णय नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में भी प्रादेशिक परिषद पूरे समूह के प्रमाणीकरण निर्णय को अस्वीकृत कर सकती है।

समूह में यद्यपि प्रत्येक किसान सदस्य एक समूह आश्वासन प्रणाली का अंग है परंतु प्रमाणीकरण होने पर हर सदस्य को अलग-अलग व्यक्तिगत प्रमाण पत्र उपयुक्त पहचान अंक के साथ दिया जाता है। तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया के विरुद्ध जहाँ पूरे समूह को एक इकाई के रूप में उत्पाद विक्रय

करना होता है वहीं पी.जी.एस. में प्रत्येक सदस्य अपने-अपने उत्पाद को समूह से अलग स्वतंत्र रूप से भी बेच सकते हैं।

ऐसे मामले में जहाँ बिक्री स्थानीय या सीधे उपभोक्ताओं को न होकर विपणनकर्ताओं को की जाती है वहाँ उपभोक्ताओं के विश्वास एवं पूरी विपणन प्रक्रिया में जैविक निष्ठा बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि सभी उत्पाद सील बंद बोरी या बैग में भरे जायें और उन पर पी.जी.एस. लोगो के साथ स्थानीय समूह का पहचान अंक भी छापा जाये जिससे उपभोक्ता या विपणनकर्ता उस उत्पाद की जैविक निष्ठा जाँच सकें।

- ऐसी अवस्था में जहाँ समूह के पास कम्प्यूटर व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ प्रादेशिक परिषद् को सभी ऑकड़े व जानकारी जो समूह द्वारा लिखित रूप में उपलब्ध कराये गये हैं को पी.जी.एस. वेबसाइट में भरकर स्वीकृति उपरान्त प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत प्रमाण पत्र छापकर समूह को उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक सदस्य के प्रमाण पत्र में एक विशिष्ट पहचान कोड होगा जिसमें उस समूह तथा संबंधित क्षेत्रीय परिषद् की पहचान भी निहित होगी।
- सभी जारी प्रमाण पत्रों पर अंकित विशिष्ट पहचान कोड से उत्पाद की जैविक निष्ठा की संपूर्ण जानकारी जैसे समूह की उत्पादन प्रक्रिया पुनरीक्षण जाँच तथा निर्णय प्रक्रिया तक उपभोक्ताओं की पहुँच हो सकेगी।

#### पद-4

- ऑचलिक परिषद् तथा पी.जी.एस. सचिवालय भी पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र रूप से जाँच व निगरानी करेंगे तथा परिणामों से संबंधित प्रादेशिक परिषद् को वेबसाइट द्वारा अवगत कराते रहेंगे।
- प्रतिवर्ष पी.जी.एस. प्रमाणित उत्पादों के कुछ नमूने रसायन अवशिष्ट जाँच के लिये आहरित किये जायेंगे और उनकी रसायन अवशिष्ट जाँच रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाल दिया जायेगा।
- उपरोक्त दोनो जाँचों में किसी भी एक या दोनों जाँचों में विपरीत रिपोर्ट होने पर पूरे समूह का प्रमाणीकरण प्रभावित हो सकता है।
- कीटनाशी रसायन अवशिष्ट जाँच पी.जी.एस. सचिवालय-राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र तथा उसके क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्रों द्वारा

समन्वित व संचालित की जायेगी परंतु किसी भी स्थानीय समूह के उत्पाद में विपरीत रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर क्या कार्यवाही की जानी है यह संबंधित समूह व प्रादेशिक परिषद द्वारा तय की जायेगी। प्रादेशिक परिषद यद्यपि सभी स्थानीय समूहों को अनुपालना उल्लंघन संबंधी दिशा-निर्देश जारी करती हैं परंतु प्रादेशिक परिषद स्वयं उन दिशा-निर्देशों को समूह सदस्यों पर अलग-अलग लागू नहीं कर सकती है। प्रादेशिक परिषद उल्लंघन की दशा में केवल पूरे समूह के प्रमाणीकरण को निलंबित या निरस्त कर सकती है।

- पी.जी.एस. प्रणाली में यद्यपि हस्तांतरण प्रमाण पत्र (Transaction Certificate) जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा जैविक निष्ठा आश्वासन तभी तक प्रभावी है जब तक वह उत्पाद उस समूह की निगरानी में है या उस समूह की अभिरक्षा में है। परंतु प्रादेशिक परिषद व स्थानीय समूह ऐसी किसी प्रक्रिया का निर्माण कर सकती हैं जिससे जैविक निष्ठा आश्वासन का हस्तांतरण उपभोक्ता तक किया जा सके।

### **उपभोक्ताओं द्वारा प्रमाणीकरण की जाँच**

राष्ट्रीय पी.जी.एस. वेबसाइट पूरे कार्यक्रम के आंकड़ों व जानकारी का अभिलेखागार होगी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये सभी आँकड़े व जानकारी की पहुँच सर्वजन तक सुनिश्चित की जायेगी। सभी निगरानी रिपोर्ट तथा रसायन अवशेष जाँच रिपोर्ट भी वेबसाइट पर मुक्त रूप में उपलब्ध होंगी। उपभोक्ता और सामान्य जन इस वेबसाइट द्वारा स्थानीय समूह की सारांश शीट, समूह व उसके सदस्यों की जानकारी, समूह का प्रमाणीकरण स्तर तथा समूह द्वारा क्या उत्पाद पैदा किये जा रहे हैं की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समूह जिनका प्रमाणीकरण व सदस्यता समाप्त की गयी हो उनकी समस्त जानकारी उनके प्रमाणीकरण समाप्त होने की तिथि से 5 वर्ष तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

उत्पाद पर अंकित विशिष्ट पहचान कोड की जानकारी होने पर उपभोक्ता उस समूह की पूर्ण जानकारी जैसे सदस्यों के नाम उनके खेतों का पूर्व इतिहास, प्रयुक्त की गई उत्पादन प्रणाली तथा पुनरीक्षण जाँच रिपोर्ट इत्यादि भी देख सकेंगे।

इस वेबसाइट कार्यक्रम के माध्यम से यह भी प्रयास किया जायेगा कि शीघ्र ही एस एम एस (SMS) आधारित इंटरनेट आश्वासन प्रक्रिया सूचना तंत्र स्थापित किया जाये। इस प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता विशिष्ट पहचान कोड भेजकर यह जानकारी तुरंत SMS द्वारा प्राप्त कर पायेगा कि वह उत्पाद किस समूह का है और उसका प्रमाणीकरण स्तर क्या है।

### **पी.जी.एस. चिन्ह व विशिष्ट प्रमाणीकरण पहचान कोड देना।**

प्रादेशिक परिषद द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकृति प्राप्त होने पर स्थानीय समूह सभी सदस्यों के अलग-अलग प्रमाण पत्र वेबसाइट के माध्यम से छाप सकता है तथा अपने उत्पादों के पैकेट या उनके थैलों पर स्वीकृत पी.जी.एस. चिन्ह लगाकर उनका विपणन कर सकता है। प्रत्येक किसान के प्रमाण पत्र में एक विशिष्ट पहचान कोड अंकित होगा जिसमें उस समूह व संबंधित प्रादेशिक परिषद की पहचान निहित होगी। प्रत्येक प्रमाण पत्र में उस किसान की कुल जोत, ली गई फसलों व प्रमाणित उत्पादों का विवरण भी परिशिष्ट रूप में अंकित होगा। विभिन्न उत्पादों की कितनी मात्रा का उत्पादन व प्रमाणीकरण किया गया है इसकी जानकारी पी.जी.एस.-इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

प्रत्येक प्रमाण पत्र निर्णय स्वीकृति की तिथि से 12 महीने तक प्रभावी होगा। अगली सारांश शीट जमा करने और निर्णय स्वीकृति के बाद नया प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसकी वैधता जारी करने की तिथि से 12 माह तक होगी। इस प्रकार हर बार सारांश शीट जमा करने व प्रमाणीकरण निर्णय स्वीकृत होने पर प्रमाणीकरण की वैधता निरंतर बढ़ती रहेगी।

पीजीएस चिन्ह प्रमाणीकरण उत्पादों पर विशिष्ट पहचान कोड सहित अंकित करना होगा। उपभोक्ता इस विशिष्ट पहचान कोड को वेबसाइट में डालकर उत्पाद व समूह की पूर्ण जानकारी, प्रमाणीकरण स्तर, उत्पादन प्रणाली, पुनरीक्षण व निगरानी जॉच रिपोर्ट इत्यादि को देख सकेंगे।

### **पी.जी.एस. जैविक तथा पी.जी.एस. परिवर्तन अधीन उत्पादों हेतु अलग-अलग चिन्ह हैं**

पी.जी.एस.-इंडिया प्रणाली में पूर्ण पी.जी.एस.-जैविक व पी.जी.एस. परिवर्तन अधीन उत्पादों पर निम्नानुसार अलग-अलग चिन्ह लगाये जायेंगे।

पी.जी.एस. जैविक

पूर्णतः प्रमाणीकृत  
जैविक उत्पाद



पी.जी.एस. हरित

पी.जी.एस. कार्यक्रम के  
अंतर्गत परिवर्तन  
कालावधि उत्पाद



### पी.जी.एस. चिन्ह प्रयोग शर्तें

पी.जी.एस. प्रमाणित उत्पादों पर पी.जी.एस. चिन्ह, विशिष्ट पहचान कोड सहित तभी लगाया जा सकता है जब वह उत्पाद उत्पादक समूह या उत्पादक किसान द्वारा या उसकी देखरेख में पैक किया गया हो। यदि उत्पाद की पैकिंग उत्पादन क्षेत्र से दूर किसी अन्य स्थान या पैक हाउस में की जा रही है तो भी यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया समूह की देखरेख में हो और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये कि जैविक उत्पाद अन्य उत्पादों के साथ न मिल पाये।

चिन्ह का प्रयोग उत्पाद की केवल उतनी ही मात्रा पर किया जाना चाहिये जिसकी जानकारी प्रादेशिक परिषद को दी गई है और वेबसाइट पर डाली गई है।

बिना विशिष्ट पहचान कोड के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

प्रमाणीकृत जैविक तथा परिवर्तन कालावधि उत्पादों पर अलग-अलग चिन्हों का प्रयोग किया जायेगा।

# जैविक उत्पादन हेतु पी.जी.एस.—राष्ट्रीय मानक

## सामान्य आवश्यकताएँ

### आवास प्रबंधन

आवास प्रबंधन जैविक प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है तथा जैविक में परिवर्तन का सर्वप्रथम चरण है। सभी जीवों के लिये उपयुक्त जीवन यापन अवस्थायें सुनिश्चित करने, जैविक खाद हेतु उपयुक्त मात्रा में पौध अवशिष्ट प्राप्त करने तथा विभिन्न प्रकार के पौधों व वृक्षों द्वारा जैव विविधता कायम करने हेतु यह आवश्यक है कि मेढों पर तथा अन्य खाली स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पौधों, वृक्षों व झाड़ियों को लगाकर विभिन्न जीव रूपों हेतु आवास का निर्माण किया जाये। इन पौधों में नत्रजन स्थिरीकरण पौधों के लिये विशिष्ट स्थान होना चाहिए। मेढों पर लगाये गये नत्रजन स्थिरीकरण पौधे/झाड़ियों न केवल जैविक बाढ़ का काम करेंगी बल्कि जैविक रूप से स्थिरीकृत नत्रजन के साथ-साथ जमीन की गहराइयों से शोषित अन्य पोषक तत्व भूमि की उपरी सतह पर उगने वाले पौधों को प्रदान करेंगी। ये पौधे अनेक प्रकार के मित्र कीटों व पक्षियों को आवास तथा आश्रय का काम भी करेंगे, आवश्यकता होने पर वर्षा जल संरक्षण हेतु जल संग्रहण गढ़दों व तालाबों का भी निर्माण किया जा सकता है।

### फसल विविधता

जैविक प्रबंधन में फसल विविधता दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिससे न केवल कीट व व्याधि प्रबंधन में मदद मिलती है बल्कि मिट्टी का संतुलित पोषण भी सुनिश्चित होता है। फसल विविधता अनेक प्रकार की मिश्रित फसलों, सह फसलों, अर्तफसलों तथा फसल चक्र में दलहनी फसलों को प्रमुखता देकर प्राप्त की जा सकती है। ट्रैप फसलों या अवरोधक फसलों के प्रयोग से भी विविधता में बढ़ोत्तरी होती है।

### पशुधन समन्वयन

चूँकि जैविक कृषि पशुधन से प्राप्त गोबर व मूत्र की लगातार उपलब्धता पर आधारित है। अतः प्रयास किये जाने चाहिये कि फसल उत्पादन व पशुपालन प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलें और उनमें उचित समन्वय हो।

### परिवर्तन कालावधि

पी.जी.एस. जैविक मानकों की पूर्ण अनुपालना में जो समय लगता है उसे परिवर्तन कालावधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह वह समय है जो एक पारंपरिक कृषि फार्म को पूरी तरह पी.जी.एस. जैविक फार्म में बदलने में लगता है। इस कालावधि में पूरे फार्म व उसकी प्रक्रियाओं को जिसमें फसल उत्पादन व पशुधन पालन शामिल हैं को पूर्णतः जैविक प्रबंधन के



अंतर्गत लाया जाता है। पी.जी.एस. जैविक प्रबंधन में ऑशिक परिवर्तन तथा समानांतर उत्पादन वर्जित है। ऐसे खेतों में जो कृषि हेतु नये हैं या जिनमें पूर्व में पारंपरिक खेती की जा रही थी, परिवर्तन कालावधि प्रतिबंधित रसायनों के अंतिम प्रयोग तिथि से या पी जी एस शपथ लेने की तिथि से (जो भी बाद में हो) 24 से 36 महीनों की होगी। यदि केवल कम आयु की ऋतु फसलें ली जानी हो तो कालावधि 24 महीने की तथा यदि स्थायी बागवानी फसलें हों तो यह कालावधि 36 महीने की होगी।

यदि किसी किसान द्वारा अपनी पूरी जोत एक साथ जैविक प्रबंधन के अंतर्गत लाना संभव न हो तो प्रादेशिक परिषद चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन की अनुमति दे सकती है। परंतु ऐसी अवस्था में यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसान, समूह का सदस्य बनने के 24 महीने के अंदर अपनी पूरी जोत जैविक प्रबंधन के अंतर्गत ले आये।

यदि पूर्व के तीन वर्षों से उस खेत में किसी भी प्रतिबंधित रसायन का उपयोग नहीं किया गया है और समूह के सभी सदस्य इस बात से संतुष्ट हैं कि पूर्व में उस खेत में रसायन उपयोग का कोई इतिहास नहीं है तो वे सामूहिक रूप से निर्णय लेकर परिवर्तन कालावधि को घटाकर 12 महीने तक सीमित कर सकते हैं।

पशुधन के मामलों में परिवर्तन कालावधि कम से कम 12 महीने की होगी और इस अवधि में पशुओं को केवल जैविक चारा एवं जैविक दाना ही देना होगा और समूह के अन्य सदस्यों को आश्वस्त करना होगा कि सभी मानक आवश्यकताओं की पिछले 12 महीनों से अनुपालना की जा रही है।

यदि तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण (राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत) प्रक्रिया के अधीन कार्यरत कोई उत्पादक समूह (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली समूह) या ऐसे समूहों के कुछ सदस्य पी.जी.एस. प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो उनका प्रमाणीकरण स्तर, जो प्राधिकृत प्रमाणीकरण संस्था द्वारा दिया गया है और उस वक्त वैध है तो वह उसी रूप/स्तर पर जारी रहेगा बशर्ते वह सदस्य या शामिल होने वाले समूह के सभी सदस्य पी.जी.एस. की मानक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हों, उसे सिद्ध करने के लिये उनके पास सभी वॉछित प्रलेख हों तथा प्रादेशिक परिषद (जब वे एक नया समूह बनायें) या वर्तमान पी.जी.एस. स्थानीय समूह सदस्य (यदि वे वर्तमान पी.जी.एस. स्थानीय समूह में शामिल हों) उनके अनुपालना स्तर से पूर्णतया संतुष्ट हों।

### **संदूषण नियंत्रण**

सभी जैविक उत्पादन इकाइयों को प्राकृतिक या दुर्घटनावश संदूषण से बचने के प्रभावी उपाय करने चाहिये (जैसे प्रतिबंधित रसायन संदूषण जल प्रवाह द्वारा या हवा द्वारा)। सभी जैविक फार्मों या इकाइयों को या तो जैविक बाढ़ लगाकर या उपयुक्त अवरोधक क्षेत्र (Buffer Zone) से अलग कर सुरक्षित किया जाना चाहिए।

सभी जैविक फार्मों को पास के खेतों से निकले संदूषित जल प्रवाह से भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसके लिए जैविक खेतों के चारों ओर उंची मेढें और जल बहाव हेतु बचाव नालियों का निर्माण किया जा सकता है।

### **मृदा एवं जल संरक्षण**

भूक्षरण, मृदा लवणीकरण, जल के अधिक व अनुपयुक्त प्रयोग तथा सतह जल एवं भूजल को संदूषण व क्षरण से बचाने के लिए सभी वांछित प्रयास किये जाने चाहिये। वनस्पति को काटकर एवं जलाकर साफ करना तथा भूसूख को जलाना जैसी प्रक्रियाओं को न्यूनतम स्तर तक सीमित किया जाना चाहिए। खेती हेतु जंगल नष्ट करने जैसी प्रक्रियाएँ निषिद्ध हैं।

### **फसल उत्पादन हेतु मानकीय आवश्यकताएँ**

#### **बीज एवं पौध चयन**

चयनित बीज/पौध व रोपणी इत्यादि ऐसी प्रजाति की होनी चाहिए जो स्थानीय मिट्टी, वातावरणीय परिस्थितियाँ तथा जैविक प्रबंधन के अनुकूल हों, कीट एवं व्याधि प्रतिरोधी हों तथा संभव हो तो जैविक उद्गम की हों। यदि जैविक प्रबंधन से उत्पत्ति बीज उपलब्ध न हों तो पारंपरिक कृषि में उगाये ऐसे बीज जिन्हें किसी भी प्रकार के रसायनों से उपचारित न किया गया हो प्रयोग किये जा सकते हैं।

अनुवांशिकी परिवर्तित बीज, परागकण तथा परिवर्तित अनुवांशिकी के पौधों या उनके बीज या रोपण अंगों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

#### **उर्वरीकरण**

फार्म से ही प्राप्त सूक्ष्मजीवीय, पौध या पशुओं से प्राप्त जैव अपघटनशील पदार्थ उर्वरीकरण प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। हरी खाद, अंतर्फसल तथा दलहनी फसलों के साथ फसल परिवर्तन को पूरी फसल उत्पादन योजना में अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिये। फार्म के बाहर से या क़य कर लाये गये जैविक खादों (जैव अपघटनीय सूक्ष्म जैविक, पौध व पशु मूल आधारित) का भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते उनके

उत्पादन में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग न किया गया हो।

सूक्ष्मजीवीय उत्पाद जैसे बायोफर्टिलाइजर (जैव उर्वरक), बायोडायनेमिक उत्पाद, प्रभावी सूक्ष्म जीव (ई.एम.) इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है।

ऐसे जैविक उत्पाद जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन प्राधिकृत प्रमाणीकृत संस्थाओं द्वारा जैविक खेती में उपयोग हेतु स्वीकृत हैं को भी बिना किसी अन्य स्वीकृति के (स्थानीय समूह की) प्रयोग किया जा सकता है।

खनिजिक उर्वरक अपने प्राकृतिक रूप में चूर्ण बनाकर पूरक पोषकों के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं।

किसी प्रकार के संश्लेषित रसायनिक उर्वरकों का सीधे या अपरोक्ष रूप में प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

### **कीट व्याधि एवं खरपतवार नियंत्रण तथा वृद्धिकारकों (Hormones) का प्रयोग**

नाशीजीव प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन, उपयुक्त फसल चक्र, हरी खाद, संतुलित पोषण, जल्दी बुवाई, आच्छादन (Mulching), भौतिक, यांत्रिक व जैविक नियंत्रण (जैसे नाशी कीट परजीवी व भक्षियों का प्रयोग), नाशीकीटों के जीवन चक्र में व्यवधान करना तथा नाशीकीट शत्रुओं (मित्र कीटों) का संधारण नाशीजीव प्रबंधन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं

असाधारण परिस्थितियों में जब अति आवश्यक हो मिट्टी का ताप द्वारा निर्जीवीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है।

सूक्ष्म जैविक नाशीजीव नियंत्रक (जैसे बायोपैस्टीसाइड) का प्रयोग किया जा सकता है। बाजार से क्रय किये गये ऐसे सूक्ष्मजैविक या वानस्पतिक उत्पाद जिन्हे राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकृत संस्थाओं द्वारा जैविक खेती में उपयोग हेतु स्वीकृत किया गया है को भी प्रयोग किया जा सकता है।

सभी संश्लेषित व रसायनिक खरपतवार नाशकों, फफूँदीनाशकों, कीटनाशकों या अन्य रसायनिक उपादान जैसे वृद्धि नियंत्रक हारमोन तथा संश्लेषित रंगों (Dyes) का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवर्तित अनुवांशिकी जीवों या उनके उत्पादों का भी प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

### **मशीन, उपकरण, औजार व भंडारण पात्र**

कृषि में काम आने वाले सभी मशीन, उपकरणों व औजारों को जैविक प्रक्रिया में प्रयोग से पूर्व अच्छी प्रकार धोकर साफ कर लेना चाहिये।

जैविक उत्पादों के भंडारण व परिवहन हेतु सभी बोरियों, थैलों या पात्रों को साफ कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनमें कोई भी रासायनिक संदूषण नहीं है और उनका प्रयोग पूर्व में पारंपरिक उत्पादों के भंडारण में नहीं किया गया है। ऐसे सभी बैग या पात्रों पर "केवल जैविक" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

### **भंडारण तथा परिवहन**

जैविक उत्पाद पारंपरिक उत्पादों के साथ न मिल पाये इसका पूरा इंतजाम किया जाना चाहिये। भंडारण में किसी भी प्रकार के रासायनिक भंडारण कीटनाशियों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। जैविक उत्पादों के भंडारण में प्राकृतिक तथा पारंपरिक उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। कार्बन डाई आक्साइड व नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसों का भंडारण प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सकता है।

### **पशुधन उत्पादन हेतु मानकीय आवश्यकताएँ**

#### **परिवर्तन आवश्यकताएँ**

पशुधन सहित पूरे फार्म को निर्धारित कालावधि में जैविक में परिवर्तित किया जाना चाहिये। पी.जी.एस. के अंतर्गत आंशिक परिवर्तन तथा समानांतर उत्पादन निषिद्ध है। सभी प्रकार के पशुओं के लिये (मुर्गियों को छोड़कर) कम से कम परिवर्तन कालावधि 12 महीने है। मुर्गी पालन (अंडे व मांस हेतु) में दो दिन आयु के चूजों को केवल जैविक खाद्य पर ही पाला जाना चाहिए।

#### **पालन अवस्थाएँ**

पशुधन प्रबंधन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस वातावरण में उन्हें पाला जा रहा है उसमें उनके घूमने-फिरने के लिए पर्याप्त स्थान हो, वहाँ ताजी हवा, धूप व जल का प्रबंध हो तथा आराम हेतु उचित स्थान हो। सभी पशुओं को तेज धूप, वर्षा तथा आँधी से बचाना चाहिए। अंगभंग किसी भी रूप में नहीं किया जाना चाहिये परंतु इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे बंध्याकरण, पूँछ काटना, सींग हटाना, रिगिंग तथा म्यूलसिंग।

#### **प्रजातियों तथा प्रजनन**

प्रजातियों स्थानीय वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। प्रजनन प्रक्रियाएँ संबंधित पशुओं की प्राकृतिक आदतों के अनुरूप होनी चाहिये तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाली हों। प्रजनन तकनीक प्राकृतिक

होनी चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। उत्तेजना पैदा करने वाले हारमोन का प्रयोग वर्जित है दवाओं द्वारा उत्प्रेरित जन्म प्रक्रिया को तब तक नहीं अपनाना चाहिए जब तक कि चिकित्सक की सलाह पर पशु की जीवन रक्षा के लिये ऐसा करना जरूरी न हो।

परिवर्तित अनुवांशिकी की प्रजातियों का प्रयोग वर्जित है।

### **पशु पोषण**

सभी पशुओं को अच्छी गुणवत्ता का जैविक चारा ही खिलाया जाना चाहिये। सभी प्रकार का चारा या खाद्य किसान के स्वयं के जैविक खेत या स्थानीय समूह के अन्य सदस्यों के जैविक खेत से प्राप्त होना चाहिये या जंगल के उन क्षेत्रों से लिया गया हो जहाँ प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग न किया गया हो। जैविक पशु खाद्य उत्पादन इकाइयों के उत्पाद प्रयोग किये जा सकते हैं। जैविक पशुधन प्रबंधन में रंगों व रंग उत्पन्न करने वाले पदार्थों का प्रयोग निषिद्ध है।

पशुओं के खाद्य या चारे में निम्न पदार्थों का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये

- संश्लेषित वृद्धिकारक या उत्प्रेरक हारमोन
- संश्लेषित क्षुद्धावर्धक
- प्रसंस्करण प्रक्रिया में परिरक्षकों का प्रयोग
- कृत्रिम रंग उत्पन्न करने वाले रसायन
- यूरिया
- कृषि पशुओं के सहायक उत्पाद
- गोबर, बीट या अन्य जैविक खादों या मल के उत्पाद (चाहे वे प्रसंस्कृत किये हों)
- ऐसे खाद्य जो साल्वेंट (हैक्सेन) एक्सट्रैक्शन से प्राप्त हों (जैसे सोया तथा सरसों की खली)
- किसी भी प्रकार के रसायनों के योग से बने उत्पाद
- शुद्ध अमीनो अम्ल तथा
- परिवर्तित अनुवांशिकी के जीव व उनके उत्पाद

विटामिन, सूक्ष्मांत्रिक तत्व तथा अन्य पोषण पूरक पदार्थ उनके प्राकृतिक स्वरूपों में तभी प्रयोग किये जाने चाहिये जब वे उपयुक्त मात्रा व गुणवत्ता में उपलब्ध हों।

## पशु दवाएँ

बीमारी उपचार चयन में पशुओं की भलाई सर्वप्रथम विचार विषय होना चाहिए। प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाएँ तथा दवाएँ जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी तथा एक्यूप्रेसर इत्यादि को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने की दशा में वेटेनरी दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

ऐसी अवस्थाओं में जहाँ वेटेनरी दवाओं का प्रयोग किया गया हो वहाँ उन्हें प्रस्तावित सीमा से दुगने समय तक उत्पादन प्रक्रिया से बाहर रखना चाहिये।

निम्न पदार्थों का प्रयोग वर्जित है:

- संश्लेषित वृद्धि उत्प्रेरक (Synthetic growth hormones)
- कृत्रिम उदगम के ऐसे उत्पाद/पदार्थ जो उत्पादन या उत्प्रेरण या प्राकृतिक वृद्धि को रोकने में प्रयोग किये जायें।
- उत्तेजना उत्पन्न करने वाले हारमोन (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ प्रजनन संबंधी विकारों को नियंत्रित किया जाना हो तथा उनकी आवश्यकता चिकित्सक द्वारा जरूरी बताई गई हो)।
- ऐसे सभी टीके प्रयोग किये जा सकते हैं जो उस क्षेत्र की प्रचलित बीमारियों के विरुद्ध रोकथाम हेतु हों या उस क्षेत्र में उन बीमारियों के होने की आशंका हो। विधि द्वारा प्रस्तावित सभी टीकों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे टीके जो परिवर्तित अनुवांशिकी से बनाये गये हों का प्रयोग वर्जित है।

## मधुमक्खी पालन हेतु मानक आवश्यकताएँ

चूँकि मधुमक्खी पालन, पशु पालन प्रक्रिया का ही अंग है अतः जैविक पशु पालन के सामान्य सिद्धांत मधुमक्खी पालन पर भी लागू होते हैं। इनके अतिरिक्त निम्न आवश्यकताओं का अनुपालन भी अपेक्षित है।

- मधुमक्खी छत्ते प्राकृतिक पदार्थों से बने होने चाहिये तथा उनमें कोई विषाक्ता नहीं हो।
- सभी छत्तों व बक्सों को जैविक प्रबंधन वाले खेतों में या ऐसे प्राकृतिक स्थानों या जंगलों में रखा जाना चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग न किया गया हो।
- मधुमक्खी पालन में किसी प्रकार की वेटेनरी दवाओं या ऐन्टीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। ऐसे प्रतिकर्षी जिनमें प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग किया हो। मधुमक्खियों के साथ कार्य करते समय नहीं प्रयुक्त करने चाहिए।
- नाशीजीव व व्याधियों की रोकथाम तथा छत्तों के निर्जीवीकरण में जिन पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है वे हैं: कास्टिक

सोडा, लैक्टिक, ऑक्सेलिक, एसिटिक तथा फॉर्मिक अम्ल, गंधक, ईथरिक तेल तथा बेसिलस थुरेन्जिनसिस इत्यादि।

## **खाद्य प्रसंस्करण, रखरखाव तथा भंडारण हेतु मानकीय आवश्यकताएँ**

### **सामान्य आवश्यकताएँ**

कोई भी खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया, रखरखाव तथा भंडारण चाहे वे फार्म पर हों, फार्म से दूर हों या किराये पर ली गई सुविधाओं में हों पी.जी.एस. आश्वासन प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणीकृत किये जा सकते हैं बशर्ते पूरी प्रक्रिया पर समूह का नियंत्रण हो और/या समूह की निगरानी में हो तथा प्रसंस्करण या भंडारण किये जाने वाले पदार्थ समूह का स्वयं का उत्पादित उत्पाद हो। आवश्यकता होने पर अनेक पी.जी.एस. स्थानीय समूह मिलकर एक संघ बना सकते हैं तथा प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण तथा परिवहन इत्यादि मिल-जुलकर कर सकते हैं। संबंधित प्रादेशिक परिषद इस प्रकार के संघों द्वारा प्रसंस्करण, रखरखाव व भंडारण हेतु वांछित दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं।

### **भंडारण**

सभी जैविक उत्पाद तब तक एक साथ भंडारण व परिवहन नहीं किये जाने चाहिए जब तक कि वे भली-भाँति पैक न हों, उन पर जैविक चिन्ह न लगा हो और अजैविक पदार्थों से भौतिक अवरोध द्वारा अलग-अलग न किये गये हों। भंडारण व परिवहन में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी अवस्था में जैविक पदार्थ अजैविक पदार्थों के न तो सीधे संपर्क में आयें और न उनका मिश्रण होने पाये। इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि पूरी प्रक्रिया में जैविक पदार्थ किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रसायनों के संपर्क में भी न आने पायें।

जैविक भंडारण में सभी प्रकार के संश्लेषित परिरक्षकों, रसायनों तथा धूम्र उत्पाद इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। भंडारण में जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है वे हैं: नियंत्रित तापमान, ठंडा करना, शून्य से नीचे तापमान पर रखना, सुखाना, भौतिक उपायों द्वारा नमी नियंत्रण तथा नाइट्रोजन या कार्बन डाई आक्साइड जैसी निष्क्रिय गैसों से धूम्र उपचार। फलों को पकाने हेतु इथिलीन गैस का प्रयोग किया जा सकता है।

### **संघटक योजक तथा प्रसंस्करण सहायक**

- सभी संघटक तथा योजक कृषि मूल के तथा पी.जी.एस. प्रमाणित होने चाहिए।
- जल तथा नमक बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग किये जा सकते हैं।

- सूक्ष्मजैविक तथा किण्वन प्रक्रिया उत्पादों के मामले में माध्यम जैविक उत्पादों से बना होना चाहिये।
- उद्योगों में बने सूक्ष्म जीव सूत्र, टीका लगाने या सूक्ष्म जीव बीज रूप में प्रयोग हेतु उपयोग किये जा सकते हैं।
- ऐसे मामलों में जहाँ कृषि मूल के जैविक संघटक उपलब्ध न हों या कुछ संघटक गैर कृषि मूल के हों तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करें। ऐसे सभी मामलों में संघटकों की मात्रा कुल उत्पाद की मात्रा के 5% से अधिक (जल व नमक को छोड़कर) नहीं होनी चाहिये।
- परिवर्तित अनुवांशिकी के जीव व उनके उत्पादों का प्रयोग वर्जित है।
- रसायन मूल के सभी खनिज, विटामिन तथा इसी प्रकार के अन्य संघटकों का प्रयोग वर्जित है।

### प्रसंस्करण

- जैविक प्रसंस्करण हेतु प्रयुक्त सभी मशीनों, उपकरणों व औजारों को अच्छी तरह धोकर संदूषण मुक्त किया जाना चाहिये।
- सभी प्रसंस्करण मशीन तथा छलनी सहायक भी संदूषण मुक्त होने चाहिये और उनसे ऐसे किसी भी पदार्थ का स्राव नहीं होना चाहिये जो जैविक निष्ठा को प्रभावित कर सकें।
- जैविक व अजैविक उत्पाद आपस में न मिल पायें या संदूषित न कर पायें इसकी पूरी सावधानी रखनी चाहिए।
- राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों की मदद ली जा सकती है।
- पी.जी.एस. जैविक के अंतर्गत जो प्रक्रियाएँ स्वीकृत हैं वे हैं: यांत्रिक, भैतिक, जैविक, धुआँ करना, अर्क निकालना, अवक्षेपीकरण तथा छनाई। अर्क निकालने की प्रक्रिया में जल, ईथानोल, पौध तथा पशु तेल, सिरका, कार्बन-डाई-ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा कार्बोक्साइलिक अम्ल का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त सभी द्रव घोलक खाद्य स्तर के होने चाहिए।
- सभी प्रकार के अणु-प्रकाशन (Irradiation) का प्रयोग वर्जित है।

### पैकिंग तथा लेबल लगाना

- पैकिंग पदार्थ उत्पाद के जैविक गुण को प्रभावित नहीं करने वाला होना चाहिये।
- पैकिंग पर पी.जी.एस. समूह विवरण, पी.जी.एस. चिन्ह तथा विशिष्ट पहचान कोड स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।



- एकल संघटक उत्पाद के उत्पादन में सभी मानक आवश्यकताएं पूरी होने पर तथा समूह द्वारा उसे पी.जी.एस.–जैविक घोषित किये जाने पर उस उत्पाद पर पी.जी.एस.–जैविक चिन्ह लगाया जा सकता है।
- परिवर्तन कालावधि उत्पाद जब सभी मानक आवश्यकताओं को पूरा कर समूह द्वारा पी.जी.एस.–हरित घोषित कर दिये हो उन पर पी.जी.एस.–हरित चिन्ह लगाया जा सकता है।
- मिश्रित या प्रसंस्कृत उत्पादों के मामले में यदि उसका 95% भाग पी.जी.एस. जैविक संघटकों से बना है तो उस पर पी.जी.एस. जैविक चिन्ह लगाया जा सकता है। यदि जैविक संघटकों का परिमाण 95 से 70 प्रतिशत के बीच है तो उत्पाद पर “पी.जी.एस.–जैविक संघटकों से बना” अंकित किया जा सकता है परंतु उस पर पी.जी.एस. चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।
- केवल पी.जी.एस. स्थानीय समूह तथा उनके द्वारा अधिकृत पी.जी.एस. समूह संघ उन उत्पादों पर पी.जी.एस. चिन्ह लगा सकता है जो समूह या संघ के सीधे उत्पादों से तथा उनके निरीक्षण में प्रसंस्कृत किये गये हों।

पी.जी.एस. स्थानीय समूह में शामिल होने हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,  
श्रीमान् समूह संयोजक  
पी.जी.एस. स्थानीय समूह.....  
ग्राम .....  
जिला .....

श्रीमान्  
मैं सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली के जैविक मानकों के अनुरूप जैविक खेती तथा जैविक पशुपालन करना चाहता हूँ और आपके पी.जी.एस. स्थानीय समूह जो पी.जी.एस. जैविक आश्वासन प्रणाली के अधीन कार्यरत है में शामिल होना चाहता हूँ।

मेरे परिवार का विवरण तथा फार्म का पूर्व इतिहास उत्पादन प्रणाली आदान उपयोग तथा पशुधन विवरण निश्चित प्रपत्र में संलग्न है। मैंने पी.जी.एस. मानक तथा स्थानीय समूह प्रचालन पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त कर ली है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि मैं इन मानकों की दीर्घावधि तक अनुपालना करूँगा।

मैं वचन देता हूँ कि पी.जी.एस. स्थानीय समूह के सभी कार्यकलापों यथा समूह गोष्ठियों में भाग लेना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना तथा अन्य सदस्यों के खेतों की पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करूँगा।

मैं वचन देता हूँ कि स्थानीय समूह के सभी नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का पालन करूँगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि समूह के सामूहिक निर्णयों का पूरा सम्मान करूँगा।

मैं वचन देता हूँ कि समूह में शामिल किये जाने पर मैं पी.जी.एस. शपथ पर हस्ताक्षर करूँगा और शपथ का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करूँगा।

किसान के हस्ताक्षर  
नाम.....  
पता .....

दिनांक.....

स्थान .....

**स्थानीय समूह के प्रयोग हेतु**

प्रार्थना पत्र क.  
विवरण की जाँच की तथा पर्याप्त/अपर्याप्त पाया  
स्थानीय समूह कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि  
स्थानीय समूह में शामिल किया  
प्रदत्त सदस्यता संख्या

हाँ/ नहीं

समूह संयोजक के हस्ताक्षर

फार्म इतिहास प्रपत्र

(किसान द्वारा भरा जाये। यदि किसान अनपढ़ है या प्रपत्र भरने में अक्षम है तो समूह के दूसरे सदस्य इस फार्म को भरने में मदद करें। विकल्प के रूप में समूह के दो सदस्य किसान के घर व फार्म पर जायें और पूरी जानकारी मौखिक रूप से एकत्र कर फार्म में भरें)

1. किसान का नाम
2. पिता का नाम
3. परिवार के सदस्यों के नाम  
क.  
ख.  
ग.  
घ.  
ड..
4. फार्म/खेत का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में) तथा प्लाटों की संख्या
5. पूरे फार्म का नक्शा विभिन्न सुविधाओं, उपयोगी बिन्दुओं, पेड़ों तथा स्थायी निर्माण आदि की जगह दर्शाते हुए बनायें तथा संलग्न करें।
6. प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग की अंतिम तिथि
7. पिछले तीन वर्षों में फसल तथा आदान प्रयोग विवरण:

वर्ष	फसल	खाद (नाम तथा मात्रा) उपयोग	पौध संरक्षण आदान उपयोग (नाम व मात्रा)
1. ऋतु क ऋतु ख ऋतु ग			
2. ऋतु क ऋतु ख ऋतु ग			
3. ऋतु क ऋतु ख ऋतु ग			

8. क्या पूर्व में कोई जल व मृदा परीक्षण कराया है। यदि हाँ तो रिपोर्ट साथ लगायें।
9. सिंचाई सुविधाओं का विवरण
10. उपलब्ध मशीन, उपकरण, औजार विवरण

11. पशुधन विवरण तथा पिछले 3 वर्षों का इतिहास

वर्ष	पशु का नाम	संख्या	दिये गये चारा तथा खाद्य विवरण	दवाइयों तथा हार्मोन इत्यादि का विवरण
1				
2				
3				

12. संदूषण नियंत्रण उपाय लिये गये/प्रस्तावित (जैसे बफर जोन तथा संदूषित जल बहाव से बचाव के उपाय)
13. उपलब्ध भंडारण सुविधाएं
14. फार्म पर (उपलब्ध या प्रस्तावित) आदान उत्पादन सुविधायें
15. कटाई पश्चात् कार्य हेतु (उपलब्ध या प्रस्तावित) सुविधाएं। यदि उपलब्ध न हों तो वे कैसे प्राप्त की जायेंगी।
16. कटाई पश्चात् यदि कोई प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध है या नहीं।
17. यदि पूरा फार्म व पशुधन एक साथ जैविक में परिवर्तन हेतु प्रस्तावित नहीं है तो पूरे फार्म को समय सीमा में कैसे परिवर्तन अधीन लायेंगे उसका चरणबद्ध विवरण योजना सहित दें।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूरी तरह सत्य है तथा मैंने कोई भी सूचना या तथ्य जो भविष्य में मेरी जैविक निष्ठा को प्रभावित करे नहीं छिपाया है।

किसान के हस्ताक्षर

किसान द्वारा दी गई जानकारी सत्य प्रतीत होती है और किसान पर विश्वास किया जा सकता है।

समूह के अन्य पंजीकृत किसान के हस्ताक्षर  
उसका नाम तथा समूह क्र.

### जैविक कृषक शपथ

मैं.....पुत्र/पुत्री.....ग्राम.....  
जिला ..... आज..... माह के दि. ....वर्ष .....  
को एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि

1. मैं फसल उत्पादन तथा पशुपालन में पी.जी.एस. जैविक मानकों का अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित करूँगा कि पूरी उत्पादन प्रक्रिया संश्लेषित आदान मुक्त हो तथा दीर्घावधि में मिट्टी, पर्यावरण, फसलें, पशुधन, मेरा परिवार तथा समाज के लिए स्वस्थ व सुरक्षित हो। मैंने पी.जी.एस. मानकों तथा स्थानीय समूह प्रचालन पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त कर ली है।
2. पी.जी.एस. कार्यक्रम के अधीन लाये गये सभी कृषि उपकरणों में किसी भी प्रकार के संश्लेषित आदान (जैसे रासायनिक नाशीजीव नाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूँदी नाशक, रासायनिक खाद, वृद्धि उत्प्रेरक हारमोन, वृद्धि नियंत्रक तथा हारमोन इत्यादि) का किसी भी रूप में सीधे या परोक्ष रूप से प्रयोग नहीं करूँगा।
3. मैं अपने पूरे कृषि कार्यकलापों जिसमें पशुधन भी शामिल है जैविक प्रबंधन के अंतर्गत लाने के लिये प्रतिबद्ध हूँ (या 24 महीने में लाने को प्रतिबद्ध हूँ)।
4. किसी भी बाहर से लाये गये आदान को जिसकी जैविक निष्ठा मुझे ज्ञात नहीं है को उपयोग से पूर्व समूह से जाँच कराऊँगा।
5. स्थानीय समूह में अपने साथी किसानों के साथ मिलजुल कर काम करूँगा, सभी गोष्ठियों व प्रशिक्षणों में भाग लूँगा तथा जैविक मानकों व जैविक उत्पादन तकनीक पर अपनी जानकारी सभी सदस्यों के साथ बाँटूँगा।
6. मैं मिट्टी को सतत् उर्वर बनाने हेतु टिकाऊ कृषि प्रक्रियाओं जैसे फसल चक्र, कम्पोस्ट बनाना, आच्छादन फसलें तथा हरी खाद फसलें इत्यादि का प्रयोग करूँगा।
7. पी.जी.एस. जैविक मानकों के अनुपालन के साथ पशुधन की परिचर्या तथा उनकी भलाई सुनिश्चित करूँगा।
8. मैं अपने सभी जैविक उत्पाद को कटाई पश्चात् भंडारण, परिवहन तथा विपणन हेतु केवल उन्हीं थैलों या पात्रों में रखूँगा जो साफ होंगे और जिन पर "जैविक" चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित होगा।

9. मैं अपनी जैविक इकाई को संदूषण से बचाने के लिए सभी संभव प्रयास करूँगा।
10. मैं अपने पूरे कृषि तंत्र में जैव विविधता को बढ़ावा दूँगा।
11. मैं अपने उत्पादों को जैविक रूप में तभी बेचूँगा जब वे प्रमाणित क्षेत्र पर उगाये गये हों तथा पूरी उत्पादन प्रक्रिया पी.जी.एस. जैविक मानकों के अनुरूप पूरी की गई हो।
12. मैं भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन तथा विपणन में यह सुनिश्चित करूँगा कि जैविक उत्पाद अजैविक उत्पादों के साथ न मिल पायें और उनमें कोई भी अजैविक संदूषण न होने पाये।
13. मैं मेरे प्रमाणीकरण स्तर पर लिये गये समूह के निर्णय को मानूँगा।
14. मैं समूह की परिपाटी के अनुसार दूसरे किसानों की पुनरीक्षण प्रक्रिया में भाग लूँगा।
15. मेरे खेत या प्रक्रिया में कोई भी भूल या जैविक मानकों का उल्लंघन चाहे व कितना ही छोटा हो, उसकी सूचना स्थानीय समूह को दूँगा।

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैंने जो सूचना अपने आवेदन में तथा फार्म इतिहास प्रपत्र में दी है वह मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण रूप से सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में मैं सभी पुनरीक्षकों को पूरा सहयोग दूँगा तथा मेरे और मेरे परिवार की जानकारी में जो भी सत्य सूचना होगी वह पुनरीक्षकों को बताऊँगा तथा समय-समय पर प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों की पूरी जानकारी रखूँगा।

दिनांक

स्थान

किसान के हस्ताक्षर

नाम.....

समूह गोष्ठी उपस्थिति तथा विवरण पंजिका प्रपत्र

पी.जी.एस. स्थानीय समूह का नाम

सदस्यों की कुल संख्या

गोष्ठी का दिनांक तथा समय

महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा तथा यदि कोई योजना बनाई गई हो तो उसका विवरण

पिछली गोष्ठी के बाद से कितने पुनरीक्षण किये गये

अगले दो माह में किये जाने वाले पुनरीक्षणों की योजना का विवरण

यदि कोई आदान स्वीकृत किया या कोई समस्या निदान हुआ उसका विवरण

अन्य कोई विशिष्ट विषय पर चर्चा का विवरण

किये गये निर्णयों का विवरण

सदस्य उपस्थित

क्र.सं.	सदस्य नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

गोष्ठी अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
नाम—

**प्रमुख प्रक्षेत्र दिवस प्रशिक्षण उपस्थिति तथा विवरण पंजिका प्रपत्र**

पी.जी.एस. स्थानीय समूह का नाम

सदस्यों की कुल संख्या

प्रशिक्षण का स्थान

प्रशिक्षण का दिनांक, समय तथा कुल अवधि

प्रशिक्षण का विषय तथा कथ्य

आमंत्रित विशेषज्ञों का विवरण

प्रशिक्षण किसके संयोजन में किया

प्रमुख विषयों जिन पर चर्चा हुई उसका विवरण

**उपस्थित सदस्य**

क्र. सं.	सदस्य नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

प्रशिक्षण सत्र अध्यक्ष का नाम

व हस्ताक्षर



पुनरीक्षण जाँच प्रपत्र (फसल व पशुधन उत्पादन)

ऋतु..... वर्ष..... पुनरीक्षण जाँच

स्थानीय समूह नाम

स्थानीय समूह कोड क्र.

पुनरीक्षक दल के सदस्यों का नाम

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

1. किसान सदस्य का विवरण

क्र.	विषय	विवरण
1	किसान का नाम	
2	सदस्यता क्र.	
3	पिछले पुनरीक्षण के आधार पर स्तर	
4	पूरे खेत का क्षेत्रफल	
5	क्या क्षेत्रफल या अन्य आधारभूत सुविधाओं में कोई बदलाव आया है	
6	क्या पशु धन में कोई परिवर्तन है	
7	किसान के परिवार सदस्य का नाम जो पुनरीक्षण के समय उपस्थित हो *	
8	पुनरीक्षण की तिथि	

\* पुनरीक्षण के समय किसान परिवार के कम से कम एक ऐसे सदस्य का, जो पी.जी.एस. प्रचालन कार्यप्रणाली से भली-भाँति परिचित हो का होना अतिआवश्यक है। किसान सदस्य के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है।

2. पृष्ठभूमि विवरण

क्र.	विषय	विवरण
1.	प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग की अंतिम तिथि	
2.	किसान कितने माह से जैविक खेती कर रहा है।	

3.	क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि किसान शपथ लेने के बाद से किसी भी संश्लेषित आदान का प्रयोग नहीं कर रहा है।	
4.	क्या किसान ने आवास प्रबंधन में सुधार हेतु कोई प्रयास किये हैं। यदि हाँ तो विवरण दें। यदि नहीं तो सुझाव दें।	
5.	जैव विविधता किस प्रकार संजोयी जा रही है। शपथ लेने के बाद से या पिछले पुनरीक्षण के बाद किये गये प्रयासों का विवरण दें।	
6.	फार्म यदि परिवर्तन काल में है तो पुनरीक्षण तिथि को उसका क्या स्तर है।	
7.	क्या आप संतुष्ट है कि परिवर्तन हेतु सभी मानक आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा है।	
8.	क्या आपको लगता है कि परिवर्तन कालावधि को कम किया जा सकता है। यदि हाँ तो कारण व साक्ष्य सहित निर्दिष्ट करें।	
9.	क्या बफर जोन का संयोजन किया जा रहा है। यदि हाँ तो स्पष्ट करें कि क्या आप अपनाये गये बफर जोन से संतुष्ट हैं  यदि नहीं तो उपयुक्त बफर जोन हेतु सुझाव दें (परंतु ये सुझाव केवल परिवर्तन काल में दिये जा सकते हैं।) बफर जोन संयोजन का अनुपालन न करना मानक उल्लंघन माना जायेगा।	
10.	क्या आप संतुष्ट हैं कि जल बहाव से होने वाले संदूषण से बचाव के लिये उपयुक्त प्रबंध किये गये हैं।	
11.	सिंचाई का स्रोत क्या है। क्या यह जैविक मानकों की आवश्यकतानुसार है।	
12.	यदि भू एवं जल संरक्षण हेतु कोई उपाय किये गये हों तो उसका विवरण दें। यदि नहीं किये गये हों तो सुझाव दें (यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है)	
13.	क्या आप संतुष्ट हैं कि किसान पी.जी.एस. जैविक मानकों व प्रचालन प्रक्रिया से भली-भाँति परिचित है।	

### 3 पी.जी.एस. मानकों की अनुपालना जाँच

क्र.	विषय	विवरण	अनुपालना स्तर
1.	<p><b>बीज एवं रोपणी</b></p> <p>(क) जैविक(0) या अजैविक (c)</p> <p>(ख) यदि अजैविक है तो क्या रसायन उपचारित है(CT) या नहीं (NT)</p> <p>(ग) परिवर्तित अनुवांशिकी का है या नहीं (GMO) या (Non GMO)</p> <p>क्या आप संतुष्ट हैं कि बीज तथा रोपणी जैविक मानकों की अनुपालना में हैं।</p>		
2.	<p>स्वयं के खेत पर बनाये खादों का विवरण व उपयोग मात्रा</p> <p>क्या आप संतुष्ट हैं कि यह पी.जी.एस. मानकों के अनुरूप हैं।</p> <p>बाहर से लाये आदानों का विवरण। यदि उपयोग किया गया है तो बतायें कि क्या वह समूह द्वारा स्वीकृत किया गया है या नहीं</p> <p>क्या उपयोग किया गया आदान राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत है? (विवरण दें)</p> <p>क्या आप संतुष्ट हैं कि पूरी उर्वरीकरण प्रक्रिया तथा आदान पी.जी.एस. मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।</p>		
3.	<p>खरपतवार प्रबंधन हेतु किये गये उपायों का विवरण</p> <p>क्या आप संतुष्ट हैं कि खरपतवार प्रबंधन प्रक्रिया पी.जी.एस. मानकों की आवश्यकता के अनुरूप है।</p>		
4.	<p>पौध सुरक्षा उपायों का विवरण दें</p> <p>(क) फार्म पर उत्पादित उपाय</p> <p>(ख) बाह्य आदान उपयोग</p> <p>बाह्य आदान समूह द्वारा स्वीकृत किये गये हैं या नहीं</p>		

	<p>क्या बाह्य आदान राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत हैं (विवरण दें)</p> <p>क्या आप संतुष्ट हैं कि नाशी जीव प्रबंधन उपाय पी.जी.एस. मानकों की आवश्यकतानुसार है।</p>		
5	क्या सभी उपकरण व औजार जैविक खेती में प्रयोग हेतु अच्छी तरह धो कर साफ कर लिये गये हैं।		
6.	क्या जैविक उत्पादों के भंडारण हेतु उपयोग किये जाने वाले पात्र पी.जी.एस. मानकों के अनुरूप हैं।		
7.	क्या आप संतुष्ट हैं कि भंडारण, भंडारण पात्र, बोरी, थैले इत्यादि पी.जी.एस. मानकों की आवश्यकता पूर्ण करते हैं।		
8.	क्या पशुधन की परिचर्या भली-भाँति की जा रही है तथा उन्हें पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही हैं		
9.	क्या पशुधन को जैविक चारा तथा खाद्य दिया जा रहा है।		
10.	क्या आप आश्वस्त हैं कि पशुधन को कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ नहीं खिलाया जा रहा है।		
11.	पशुओं को दी गई दवा व टीकों का विवरण दें।		
12.	क्या आप संतुष्ट हैं कि पशुओं को दी गई दवायें पी.जी.एस. मानकों के अनुरूप हैं तथा केवल आपात अवस्था में दी गई हैं। दवा देने के पश्चात् उन पशुओं को कितनी अवधि तक उत्पादन प्रक्रिया से बाहर रखा गया का विवरण दें।		
13.	क्या आप संतुष्ट हैं कि पशुपालन व उत्पादन हेतु सभी पी.जी.एस. मानक आवश्यकताएँ पूरी की गई हैं।		

14.	<p><b>मधुमक्खी पालन</b></p> <p>(क) क्या आप संतुष्ट हैं कि मधुमक्खी छत्ते तथा बक्से मानकों के अनुरूप हैं</p> <p>(ख) क्या आप संतुष्ट हैं कि मधुमक्खी के बक्से ऐसे स्थानों पर रखे गये हैं जो जैविक प्रबंधन अधीन हैं या प्राकृतिक स्थान हैं।</p> <p>(ग) क्या आप संतुष्ट हैं कि मधुमक्खी पालन या रखरखाव प्रक्रिया में किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया है।</p> <p>क्या आप संतुष्ट हैं कि मधुमक्खी पालन की पूरी प्रक्रिया पी.जी.एस. मानकों के अनुरूप अपनाई गई है।</p>		
-----	--	--	--

**उल्लंघन का स्तर** – यदि उल्लंघन या कमी से जैविक निष्ठा को कोई खतरा नहीं है तो उसे सुझाव की श्रेणी में रखें (A)। यदि उल्लंघन या कमी से जैविक निष्ठा को खतरा है तो उसे बड़ी जोखिम (M) की श्रेणी में रखें। यदि उल्लंघन अत्यंत ही गंभीर है तथा मानकों का घोर उल्लंघन है तो उसे गंभीर जोखिम (S) की श्रेणी में रखना चाहिये। किसी भी बिन्दु पर बड़ी जोखिम किसान के जैविक स्तर को परिवर्तन कालावधि में धकेल सकती हैं। गंभीर उल्लंघन की अवस्था में दंडात्मक प्रक्रिया अपनानी होगी (जैसे समूह से निलंबन, या निष्कासन या सदस्य को परिवर्तन काल के प्रथम माह पर रख देना)। एक ही बिन्दु पर तीन बार एक ही प्रकार के सुझाव बड़ी जोखिम का रूप ले लेंगे तथा सदस्य का प्रमाणीकरण स्तर खतरे में पड़ सकता है। पूरी अनुपालना पर उसे “पूर्ण अनुपालना” (C) के रूप में दर्शायें।

## उत्पादन विवरण

क्र.सं.	फसल/उत्पाद	अनुमानित उत्पादन	स्वयं के प्रयोग मात्रा	के हेतु	विक्रय हेतु उपलब्ध मात्रा
1					
2					
3					
4					
5					

## निरीक्षण सारांश तथा अनुशंसा

यद्यपि पुनरीक्षण दल प्रमाणीकरण प्रक्रिया या स्तर पर कोई निर्णय नहीं दे सकता है परंतु अब जब पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है आपकी क्या अनुशंसा है।

- पूर्ण प्रमाणीकरण
- परिवर्तन काल अधीन
- किसान सदस्य सूचीबद्ध किये सुधार अपनाये तथा प्रमाणीकरण हेतु अगले वर्ष आवेदन करे।

पुनरीक्षण दिनांक

पुनरीक्षण जाँच में कितना समय लगा

पुनरीक्षण जाँच प्रपत्र भरने की जिम्मेदारी किसने पूरी की

पुनरीक्षक दल में उपस्थित सभी पुनरीक्षकों के हस्ताक्षर, नाम तथा दिनांक

- 1
- 2
- 3

**प्रसंस्करण तथा रखरखाव पुनरीक्षण जॉच प्रपत्र**

पुनरीक्षण जॉच प्रपत्र वर्ष ..... के लिए .....

प्रसंस्करण का प्रकार

प्रसंस्करण प्रक्रिया तथा प्रसंस्करण सुविधा विवरण

फार्म पर / फार्म से बाहर या किराये पर ली गई सुविधा में

सुविधाओं का मालिक

प्रसंस्करण परिसर में अन्य प्रसंस्करण गतिविधियों का विवरण

पुनरीक्षक दल के सदस्यों के नाम व सदस्यता क्र.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**1. स्थानीय समूह विवरण**

क्र. सं.	विषय वस्तु	विवरण
1.	समूह का नाम	
2.	समूह क्र.	
3.	प्रसंस्कृत किये जाने वाले उत्पाद का विवरण व मात्रा	
4.	प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न अवयवों व संघटकों का अनुपात जल, नमक तथा अन्य अजैविक संघटकों का अनुपात व मात्रा	
5.	प्रसंस्करण प्रक्रिया निरीक्षण हेतु उत्तरदायी समूह सदस्य का नाम	
6.	प्रसंस्करण प्रक्रिया की देखरेख में उपस्थित समूह सदस्य का नाम	
7.	पुनरीक्षण दिनांक	

पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया में समूह द्वारा प्राधिकृत ऐसे सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है जो पी.जी.एस. प्रसंस्करण मानकों से भली-भाँति परिचित हो। ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति में पुनरीक्षण कार्य नहीं किया जा सकता है।

## 2 प्रसंस्करण प्रक्रिया का जाँच प्रतिवेदन

क्र.	विषय वस्तु	जाँच विवरण	अनुपालन स्तर
1.	<p><b>भंडारण</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>क्या भंडारण सुविधायें पी.जी.एस. मानकों के अनुरूप हैं।</li> <li>क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि मिश्रण या संदूषण से बचाव हेतु सभी वांछित उपाय किये गये हैं।</li> <li>क्या आप संतुष्ट हैं कि भंडारण में किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है।</li> </ul>		
	क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि भंडारण हेतु सभी मानक आवश्यकताएं पूरी तरह पालन की जा रही हैं।		
2.	<p><b>प्रसंस्करण सुविधाएं</b></p> <p>कृपया यह स्पष्ट करें कि सुविधाएं केवल जैविक प्रसंस्करण हेतु हैं या वहाँ अजैविक प्रसंस्करण भी किया जा रहा है।</p>		
	<p>क्या सभी उपकरण, भंडारण पात्र, सुविधाएं इत्यादि भली-भाँति धोकर साफ कर ली गई हैं तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ प्रसंस्करण प्रक्रिया में न आने पाये।</p> <p>क्या आप संतुष्ट हैं कि प्रसंस्करण इकाई पी. जी.एस. जैविक प्रसंस्करण मानकों पर पूरी खरी उतरती है।</p>		
3.	<p><b>प्रसंस्करण प्रक्रिया</b></p> <p>पूरी प्रक्रिया का विवरण दें तथा यह स्पष्ट करें कि प्रक्रिया पी.जी.एस. जैविक कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्वीकृत प्रक्रिया है।</p>		
	क्या सभी संघटक या अवयव पी.जी.एस. जैविक हैं या नहीं। यदि नहीं तो प्रत्येक जैविक व अजैविक संघटक का अलग-अलग विवरण दें।		
	क्या आप संतुष्ट हैं कि सभी अजैविक या बाहर से कय किये गये संघटक सभी मानक		



	आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।		
	अजैविक योजकों के नाम उनकी गुणवत्ता तथा मात्रा का विवरण दें।		
	क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि पूरी प्रसंस्करण प्रक्रिया में किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है।		
	क्या आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि पूरी प्रसंस्करण प्रक्रिया मानक आवश्यकताओं के अनुरूप है। यदि नहीं तो, उल्लंघनों या जहाँ मानक अनुपालना नहीं हुई है या अस्वीकार्य योजकों का उपयोग किया है का विवरण दें।		

### उत्पादन विवरण

क.	प्रसंस्कृत उत्पाद का प्रकार	अनुमानित उत्पादन	पैकिंग विवरण	पात्रों/बक्सों का आकार भार व मात्रा का विवरण दें।
1				
2				
3				
4				
5				

### 3 निरीक्षण सारांश तथा अनुशंसा

यद्यपि पुनरीक्षण दल प्रमाणीकरण स्तर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सकता परंतु अब जब निरीक्षण पूर्ण हो गया है तो आप निम्न चरणों पर क्या अनुशंसा करेंगे।

भंडारण सुविधाएं

प्रसंस्करण इकाई

प्रक्रिया तथा उत्पाद

निरीक्षण दिनांक

पुनरीक्षण दल के सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर

प्रसंस्करण इकाई के प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर

अनुपालना उल्लंघन दिशानिर्देश दंड सूची

सभी दंड पूरे समूह की सामान्य सभा द्वारा या समूह द्वारा चुनी गई आचार संहिता समिति (यदि गठित की गई है तो) द्वारा दिये जाने चाहिये

परिस्थितियाँ	दण्ड का प्रकार
<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रक्षेत्र दिवस या गोष्ठियों में अनुपस्थिति</li> <li>• उत्पादन प्रक्रिया का संतोषजनक न होना</li> </ul>	मौखिक चेतावनी
<ul style="list-style-type: none"> <li>• मानकों या नियमों का लघु उल्लंघन</li> <li>• मिलती-जुलती समस्याओं पर बार-बार लिखित चेतावनी</li> <li>• स्वीकृति शर्तों पर ध्यान न देना या उनकी अवहेलना</li> </ul>	सीमित/लघु समय के लिए प्रमाणीकरण निलंबन यह समय इस बात पर निर्भर करेगा कि समूह अगला पुनरीक्षण करने में कितना समय लेगा या उस पर कब विचार-विमर्श करेगा।
<ul style="list-style-type: none"> <li>• बार-बार लघु उल्लंघन</li> <li>• ऐसी मानक आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन जिससे उत्पाद की जैविक निष्ठा को कोई खतरा न हो</li> </ul>	समूह से तब तक अस्थायी निलंबन जब तक कि वांछित सुधार न लागू किये जायें।
<ul style="list-style-type: none"> <li>• मानकों का स्पष्ट उल्लंघन जिससे उत्पाद की जैविक निष्ठा को खतरा हो जैसे प्रतिबंधित पदार्थ, कीटनाशी या संश्लेषित रसायनिक खाद का प्रयोग।</li> </ul>	1 वर्ष के लिये निलंबन। किसान को पूरा परिवर्तन काल फिर से पूरा करने हेतु पीछे किया जा सकता है।
<ul style="list-style-type: none"> <li>• बार-बार ऐसे उल्लंघन जिनमें दंड, निलंबन या प्रमाणीकरण वापसी शामिल हो</li> </ul> <p>स्पष्ट धोखाधड़ी</p> <p>जानबूझकर पुनरीक्षण प्रक्रिया में बाधा करना तथा/या निरीक्षकों को निरीक्षण न करने देना अतिरिक्त जानकारी माँगने हेतु लिखित निर्देशों का पालन न करना या जवाब न देना</p>	सहभागिता निरस्त करना  किसान को पी.जी.एस. समूह की सदस्यता से निश्चित समय के लिये या हमेशा के लिये स्थायी रूप से वंचित करना।

**अपील का अधिकार**

पूरे समूह द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय पर किसान संबंधित प्रादेशिक परिषद को निर्णय किये जाने की तिथि से दो सप्ताह के अंदर अपील कर सकता है। यदि निर्णय आचार संहिता समिति द्वारा लिया गया है तो सदस्य समूह की आम सभा में अपील कर सकता है।

**स्थानीय समूह सारांश शीट**

(प्रमाणीकरण निर्णय की स्वीकृति हेतु प्रादेशिक परिषद को दिये जाने के लिये)

इस वर्ष में स्थानीय समूह द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले फार्मों का विवरण/सूची

वर्ष.....

स्थानीय समूह क.

स्थानीय समूह संयोजक/प्रतिनिधि

संपर्क सूचना

किसानों का स्तर व संख्या

1. किसानों की संख्या जिन्होंने पूर्ण प्रमाणीकरण स्तर प्राप्त किया (सूची "क" पर संलग्न है।)
2. परिवर्तन कालावधि किसानों की संख्या (सूची "ख" पर संलग्न है।)
3. दंडित किसानों की संख्या (सूची "ग" पर संलग्न है।)

**प्रमाणीकरण निर्णय**

हम सभी स्थानीय समूह ..... क. .... के सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा सम्मिलित रूप से घोषणा करते हैं कि वे सभी सदस्य जो सूची क. "क" में सूचीबद्ध किये गये हैं ने सफलतापूर्वक पी.जी.एस. जैविक प्रमाणीकरण स्तर प्राप्त कर लिया है तथा सभी मानक आवश्यकताओं की पूर्ण अनुपालना की है।

समूह के सभी सदस्य सम्मिलित रूप से यह घोषणा करते हैं कि जो किसान सूची "ख" में सूचीबद्ध किये गये हैं उन्हें परिवर्तन काल अधीन घोषित किया जाकर पी.जी.एस.-हरित रूप में प्रमाणित किया जाता है।

पी.जी.एस. जैविक तथा पी.जी.एस.-हरित के अधीन अनुमानित उत्पादन का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया जा रहा है।

प्रादेशिक परिषद से निवेदन है कि वह हमारे प्रमाणीकरण निर्णय को स्वीकृति प्रदान करें सभी वॉछित सूचनायें, पुनरीक्षण जॉच रिपोर्ट सहित पी.जी.एस. –इंडिया वेबसाइट पर डाल दी गई हैं और जॉच हेतु उपलब्ध हैं।

सभी समूह सदस्य वचन देते हैं कि हम प्रादेशिक परिषद द्वारा दिये गये निर्णय का सम्मान करेंगे।

स्थानीय समूह प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर व नाम

प्रादेशिक परिषद का निर्णय

प्रमाणीकरण निर्णय स्वीकृत

प्रदत्त प्रमाणीकरण विशिष्ट कोड

या

निम्न कारणों से प्रमाणीकरण निर्णय अस्वीकृत

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

हस्ताक्षर

प्रादेशिक परिषद प्रबंधक

दिनांक

अपील का अधिकार

प्रादेशिक परिषद द्वारा समूह के प्रमाणीकरण निर्णय को अस्वीकृत किये जाने की दशा में स्थानीय समूह ऑचलिक परिषद या पी.जी.एस. सचिवालय के माध्यम से राष्ट्रीय सलाहकार समिति या समिति द्वारा अधिकृत अपीलीय अधिकरण को निर्णय अधिसूचित करने की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर अपील कर सकते हैं।